

नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी

वाराणसी

गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर

1995

नारी हस्तकला उद्योग समिति

88/2, ग्राम नरोत्तमपुर, पो. नेपुरकलाँ, जिला-वाराणसी

नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी

वाराणसी

गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर

1995

नारी हस्तकला उद्योग समिति

88/2, ग्राम नरोत्तमपुर, पो. नैपुराकलाँ, जिला-वाराणसी

वाराणसी सम्मेलन और प्रदर्शनी की संगठन समितियाँ

दक्षिण क्षेत्र	:	श्रीमती पद्मा जायसवाल श्रीमती राधिका देवी
मध्य क्षेत्र	:	श्रीमती चन्दा यादव सुश्री नसरीन जहाँ श्रीमती दुर्गा विश्वकर्मा
बजरडीहा क्षेत्र	:	सुश्री शहनाज परवीन सुश्री कंचन बाला श्रीमती भागमनी सुश्री पूनम पाल
राजघाट क्षेत्र	:	श्रीमती प्रेमलता सिंह श्रीमती सरोजिनी तिवारी श्रीमती माया गुप्ता श्रीमती संध्या मिश्रा
ग्रामीण क्षेत्र	:	श्रीमती उर्मिला सिंह श्रीमती सरोज पाल
संगठन कार्यालय, लंका	:	सुश्री (डॉ.) रेवारानी डे श्रीमती मीरा पाल
नारी हस्तकला उद्योग समिति, लंका:		श्रीमती शकुन्तला शर्मा श्रीमती शीला सहाय श्रीमती दीपिका मलिक श्रीमती देवी



**वाराणसी में
नारी हस्तकला उद्योग समिति के केन्द्र**

1. 88/2, ग्राम नरोत्तमपुर, पो. नैपुराकलाँ, जिला-वाराणसी।
2. श्री कृष्ण भवन, 25, माधव मार्केट, लंका, वाराणसी।
3. बी. 38/195 ग-1, उपाध्याय कटरा, रघुनाथ नगर कॉलोनी, महमूरगंज, वाराणसी।
4. ए-13/168, घसियारी टोला, राजघाट, वाराणसी।
5. के 56/126, औसानगंज, प्रकाशवीर मन्दिर, वाराणसी।
6. सी. 20/2, क्यू नई पोखरी, लल्लापुरा, वाराणसी।



गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर सम्मेलन व प्रदर्शनी

संगठन समितियां

नारी हस्तकला उद्योग समिति

श्रीमती प्रेमलता सिंह, मंत्री

कार्यालय : के. 56/126, औसानगंज

वाराणसी

और

श्रीमती चित्रा सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष

कार्यालय : 18, संकटमोचन कॉलोनी,

लंका, वाराणसी

स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग नारी मंच

मिर्जापुर

1) ऊषा सिलाई स्कूल, पक्की सराय,

वास्लीगंज, मिर्जापुर

2) महिला संसार प्रशिक्षण केन्द्र, वास्लीगंज,

बघेल की गली, मिर्जापुर

3) श्रीमती सुलोचना गुप्ता, रमईपट्टी, मिर्जापुर

बालिका कला निकेतन, चौबे टोला, मिर्जापुर

स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग नारी मंच

गाजीपुर

1) लता महिला सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई

औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति

स्टेशन रोड, गाजीपुर

2) श्रीमती सहस्रनिसा/मोहम्मद युसूफ, मोहल्ला-

ठाकुरवारी, पो.-पीरनगर, गोराबाजार, गाजीपुर

3) चन्दा सिलाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र,

मालगोदाम रोड, स्टेशन, गाजीपुर

4) शशि महिला सिलाई, कढ़ाई, प्रशिक्षण केन्द्र

पुलिस लाइन रोड, गोराबाजार, गाजीपुर

5) कुशु हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र,

शास्त्री नगर कॉलोनी, गाजीपुर

स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग नारी मंच

जौनपुर

1) महिला कल्याण शिल्प कला केन्द्र,

सकरमण्डी, जौनपुर

2) मीना रिजवी शिया गर्ल्स इण्टर कॉलेज

सूतहट्टी बाजार, जौनपुर

3) मारूति सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र,

लाइन बाजार, कछगांव, जौनपुर रोड

4) गायत्री सिलाई, कढ़ाई, प्रशिक्षण केन्द्र,

शेखपुर, जौनपुर

प्रस्तावना

वर्तमान समाज व्यवस्था का प्रकार बहुसंख्य स्त्रियों को सक्रिय भागीदारी से वंचित कर रहा है। परिणामतः आज भारतीय स्त्रियाँ निर्बल और असहाय हैं। प्रगति और विकास के नाम पर सामान्य स्त्रियों के हाथों से उनके रोजगार एवं कार्यक्षेत्र छीने जा रहे हैं तथा नई व्यवस्था में केवल गिनी-चुनी स्त्रियों के ही प्रवेश की सम्भावना है। आधुनिक पश्चिमीकरण के तहत विकसित किये गये वर्तमान औद्योगिक उत्पादन के ढाँचे ने सामान्य स्त्री को समाज की मुख्य धारा से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाराणसी जैसे प्राचीन औद्योगिक नगरों की स्त्रियाँ इस तथ्य की प्रमाण हैं।

जो स्त्रियाँ अपनी कला और कारीगरी के आधार पर गृह उद्योगों में उत्पादन कर अपने घरों की रानियाँ थीं, वे आज मजदूरी और गुलामी करने के लिए बाध्य हैं। उनके हाथ के कला-कौशल तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं। स्त्रियों की लुप्त होती जा रही इन विधाओं को पुनर्संगठित कर स्त्रियों के हित में वैकल्पिक उत्पादन-ढाँचे की खोज के उद्देश्य से वाराणसी में 'नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया। नारी हस्तकला उद्योग समिति की पहल से नगर की उद्योगशील स्त्रियों ने फरवरी-मार्च 1995 में नगर में विभिन्न सात स्थानों पर इन सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इन्हीं सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। स्थानीय उद्योग और स्थानीय बाजार का विचार इन सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के आधार पर खड़ा हुआ।

इन सम्मेलनों के अनुभवों के आधार पर समिति ने वाराणसी के पास के जिलों गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर में भी इन सम्मेलन और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिसके बारे में कंचनबाला ने विस्तार से लिखा है, जो इस पुस्तिका में ही पृष्ठ 32 से समाहित किया है।

इन प्रदर्शनियों में मिट्टी, वस्त्र, बाँस, वनस्पति, लकड़ी, कागज, पत्थर आदि से निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित कर स्त्रियों ने अपनी कला की शक्ति और सम्भावनाओं को स्थापित किया तथा वस्त्र एवं खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में अपनी औद्योगिक उत्पादन की क्षमताओं को भी उजागर किया। सम्मेलनों में स्त्रियों ने विकास के न्यायपूर्ण मार्गों पर विशेष बल देने की आवश्यकता व्यक्त कर अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया। सर्वथा अराजनैतिक प्रयास के तहत आयोजित इन सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों ने यह साबित कर दिया है कि निराशा के वर्तमान माहौल में भी सामान्य स्त्रियाँ अपने विकास के रास्तों की खोज में स्वयं पहल लेकर सार्वजनिक स्तर पर ठोस कदम उठा सकती हैं।

अप्रैल, 1995

वाराणसी

—चित्रा सहस्रबुद्धे

नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी

1995

विषय सूची

1.	पृष्ठभूमि	6
	(क) सम्मेलन क्यों?	7
	(ख) उद्देश्य	7
	(ग) कार्यक्रम	8
2.	सैद्धान्तिक आधार	9
	(क) स्त्री-विकास की दृष्टि	10
	(ख) स्थानीय समाज की भूमिका	10
	(ग) स्त्री-हित के सार्वजनिक कार्य के प्रकार	
	(घ) सम्मेलन का विचार पत्रक	11
3.	कार्य-पद्धति	12
	(क) स्त्री समूहों का चुनाव	12
	(ख) भौगोलिक क्षेत्रों का चुनाव	13
	(ग) सम्पर्क के प्रकार	14
	(घ) महत्त्वपूर्ण मुद्दे	15
4.	सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों की विशेषताएँ	18
	(क) स्त्रियों की भागीदारी	18
	(ख) भागीदार स्त्रियों की सोच	20
	(ग) स्त्रियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रकार, गुणवत्ता एवं कलापक्ष	
5.	माँगपत्र	
6.	गाजीपुर, जौनपुर व मिर्जापुर सम्मेलन व प्रदर्शनियाँ	
7.	स्त्री कार्यकर्ता सम्मेलन	
8.	परिशिष्ट	
	परिशिष्ट-1 : वाराणसी प्रदर्शनी में शामिल संस्थाओं एवं स्त्रियों की सूची	
	(क) दक्षिण क्षेत्र, दुर्गाकुण्ड प्रदर्शनी	
	(ख) बीबी का रौजा, फातमान	
	(ग) सूर्या महिला प्रशिक्षण, रथयात्रा	

(घ) सुंदरपुर सट्टी प्रदर्शनी

(च) महमूरगंज प्रदर्शनी

(छ) गांधी भवन, टाउनहॉल प्रदर्शनी

परिशिष्ट-2 : गाजीपुर प्रदर्शनी में शामिल संस्थाओं एवं स्त्रियों की सूची

परिशिष्ट-3 : जौनपुर प्रदर्शनी में शामिल संस्थाओं एवं स्त्रियों की सूची

परिशिष्ट-4 : मिर्जापुर प्रदर्शनी में शामिल संस्थाओं एवं स्त्रियों की सूची

परिशिष्ट-5: वाराणसी सम्मेलन का कार्यक्रम व प्रचार पर्चा

परिशिष्ट-6 : नारी हस्तकला उद्योग समिति का संक्षिप्त परिचय



1. पृष्ठभूमि

वाराणसी नगर की स्त्रियाँ 'आधुनिक स्त्री' का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और इसलिए स्त्री-विकास के सही एवं वास्तविक मार्गों की खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनमें क्षमता है। वर्तमान आधुनिकीकरण के मोह के आगे इन स्त्रियों ने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। कस्बों और गाँवों में रहने वाली स्त्रियों तथा वाराणसी जैसे प्राचीन नगरों में रहने वाली स्त्रियों में कोई भेद नहीं है तथा ये स्त्रियाँ आधुनिक औद्योगिक एवं प्रशासनिक नगरों की स्त्रियों से भिन्न हैं। पिछड़ेपन के कारण ये स्त्रियाँ अपने रहन-सहन, मूल्य-मान्यताओं एवं विचारों को नहीं छोड़ती हैं ऐसा सोचना गलत है। वास्तविकता यह है कि इन सभी स्त्रियों को इस बात में गहरा संदेह है कि वर्तमान आधुनिकीकरण में समाज की भलाई है। क्योंकि इन स्त्रियों का दैनिक जीवन दिन-प्रति-दिन अधिक कठिन, दुःखदायी एवं अशांत होता जा रहा है। आधुनिकीकरण की आँधी ने इन्हें असहाय बना दिया है—इनके साथ इनके परिवारों से रोजगार छीन लिये हैं और नये रोजगार पाने के मार्ग इतनी बाधाओं से भरे पड़े हैं कि इन्हें पाना असम्भव-सा लगने लगा है। नारी हस्तकला उद्योग समिति के कार्यकर्ताओं को जो पिछले तीन वर्षों से वाराणसी के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियों के बीच कार्य करते रहे हैं, इस बात की स्पष्ट अनुभूति हुई है कि 1975 के दशक से चल रहा स्त्री-आंदोलन तथा वर्तमान स्त्री-विकास की योजनाएं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने की वाहक बनी हैं और यह आधुनिकीकरण बहुसंख्य सामान्य स्त्रियों के लिए प्राण लेने वाला और घातक सिद्ध हुआ है।

नारी हस्तकला उद्योग समिति (कृपया देखें परिशिष्ट-6) वाराणसी की स्त्रियों की एक ऐसी संस्था है जो 'सामान्य स्त्री' के लिए सम्माननीय रोजगार के मार्गों की खोज में प्रयासरत रही है। सामान्य स्त्री यानि वह स्त्री जो आधुनिक शिक्षा या प्रशिक्षण से लैस नहीं है तथा जिसके पास पूँजी भी नहीं है, अर्थात् पुश्तैनी उद्योगों में लगी स्त्रियाँ, ग्रामीण स्त्रियाँ, नगर की निम्न एवं मध्यम वर्ग की गृहणियाँ, छोटे-मोटे व्यवसायों में लगी स्त्रियाँ, मजदूर स्त्रियाँ आदि सामान्य स्त्रियों के तहत आती हैं। वर्तमान आधुनिकीकरण की नीति इन सभी स्त्री-समूहों के विरोध में है। इन सभी समूहों की स्त्रियों की विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन उद्योगों द्वारा सतत एवं निश्चित आमदनी उन्हें तथा उनके परिवारों को होती थी। विभिन्न पुश्तैनी उद्योग जैसे बिनकारी, कुंभकारी, आरी का काम आदि में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। कृषि, खाद्य-पदार्थ निर्माण, वस्त्र, मिट्टी एवं वनस्पति से निर्मित सामग्री, सजावट सामग्री, खिलौने आदि के निर्माण में सदियों से बड़ी संख्या में स्त्रियाँ कार्यरत थीं। किन्तु आज मशीनों द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने से, बड़े उद्योगों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सामान को बाजार में पूरी छूट होने से तथा घरेलू उत्पादन पर रोक से सम्बन्धित पेचीदे कानूनों के चलते दस्तकार एवं स्त्रियों के हाथ में उत्पादन के अधिकार नहीं रहे हैं और वे अपने रोजगार से बेदखल कर दिये गये हैं। इस प्रकार 'सामान्य स्त्री' समाज की प्रभावी धारा से अलग कर दी गई है। उसे समाज में सम्माननीय स्थान नहीं है।

(क) सम्मेलन क्यों?

वाराणसी जैसे प्राचीन औद्योगिक नगर में आज भी कुटीर उद्योग, मुश्किल से ही सही लेकिन साँस ले पा रहे हैं। यहाँ की स्त्रियाँ स्वभावतः क्रियाशील हैं और विभिन्न कला-कौशल की स्वामिनी हैं। नारी हस्तकला उद्योग समिति के द्वारा किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों में सामान्य स्त्रियों के पास विद्यमान कला-कौशल एवं ज्ञान के विस्तृत भण्डार की झलक देखने को मिलती है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि आज भी स्त्रियों को उनके इस ज्ञान एवं कला-कौशल के आधार पर औद्योगिक उत्पादन करने के अधिकार पुनः दे दिये जायें तो घर-घर में बैठी हुई स्त्री को तो रोजगार मिलेगा ही साथ ही समाज को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएँ सहज उपलब्ध हो सकेंगी और एक न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

अतः समिति ने ऐसे उद्योगों की पहचान की जिनमें स्त्रियाँ अपने परम्परागत ज्ञान एवं कौशल के आधार पर ही अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का निर्माण कर सकती हैं तथा जिनमें बड़ी संख्या में स्त्रियों को रोजगार भी मिल सकता है। कृषि, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग तथा खाद्य सामग्री के निर्माण के उद्योग वे मुख्य उद्योग हैं जिनमें सदियों से स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा इन उद्योगों की समाज को सतत आवश्यकता भी है। इस समझ के आधार पर ही समिति ने नगरीय एवं ग्रामीण स्त्रियों के कौशल पर आधारित वस्तुओं के उत्पादन की पहल ली तथा खुले बाजार में स्त्रियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के प्रयास किये। इस दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह बात स्पष्ट हुई कि स्त्रियों को उद्योग करने के लिए बाजार प्राप्त करना सबसे प्रमुख समस्या है। विभिन्न रोजगार योजनाओं से लाभान्वित स्त्रियों तथा विविध व्यावसायिक प्रशिक्षणों से लाभान्वित स्त्रियों ने भी इसी समस्या को प्रमुख बतलाया। यह भी स्पष्ट हुआ कि अगर स्त्रियों द्वारा निर्मित सामग्री को बाजार मिलने की निश्चितता प्राप्त हो तो प्रशिक्षण एवं पूँजी की समस्याएँ तो स्त्रियाँ स्वयं हल कर लेंगी। बाजार उपलब्ध कराने के लिए कोई कारगर योजना सरकार ने अभी तक लागू भी नहीं की है।

इस संदर्भ में वाराणसी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की उद्योगशील स्त्रियों एवं संस्थाओं से भी चर्चा की गई और उनके अनुभवों से निष्कर्षों की सत्यता दृढ़ भी हुई। इन सभी स्त्रियों से सलाह एवं विचार-विमर्श कर सभी के सम्मिलित सहयोग से 'नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी' का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। यह सम्मेलन और प्रदर्शनी पूर्णतः वाराणसी की स्त्रियों के ही प्रयास का परिणाम है। यह प्रयास पूर्णतः अराजनैतिक रखा गया।

(ख) उद्देश्य

'नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी' का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के द्वारा किये जा रहे एवं किये जा सकने वाले उद्योगों में आने वाली समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर विचार कर उद्योगों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ने के लिए वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करना था। सम्मेलन के तहत लगायी गयी प्रदर्शनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

* स्त्रियों के पास विद्यमान कला, कौशल एवं ज्ञान को समाज के सामने लाना।

- * स्त्रियों की औद्योगिक उत्पादन की क्षमता एवं योग्यता को सामने लाना।
- * स्त्रियों के पास विद्यमान ज्ञान एवं कौशल के आधार पर औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में निश्चित रोजगार की सम्भावनाओं को उजागर करना।
- * आम जनता (स्थानीय समाज) पर स्त्रियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए नैतिक दबाव लाना।

(ग) कार्यक्रम

4 फरवरी 1995 को बसंत पंचमी के शुभ दिन पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 4 फरवरी से 8 मार्च 1995 तक नगर के सात विभिन्न स्थानों पर दो या तीन दिवसीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। उद्योगशील स्त्रियों की सहमति से सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया :

स्थान	दिनांक
* ग्राम नरोत्तमपुर, खण्ड काशी विद्यापीठ, वाराणसी	4 फरवरी, 1995
* दुर्गाकुण्ड का मैदान	6, 7, 8 फरवरी, 1995
* बीबी का रौंजा, फातमान	10, 11 फरवरी, 1995
* सूर्या महिला प्रशिक्षण केन्द्र, रथयात्रा	17, 18, 19 फरवरी, 1995
* सुन्दरपुर बाजार	21, 22, 23 फरवरी, 1995
* महमूरगंज	25, 26 फरवरी, 1995
* गांधी भवन, टाऊन हॉल, मैदागिन	6, 7, 8 मार्च, 1995

17 दिवसीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी की इस शृंखला का उद्घाटन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम नरोत्तमपुर में तथा समापन नगर के मध्य में टाऊन हॉल स्थित गांधी भवन में किया गया।

प्रदर्शनी सुबह 11.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक लगायी गयी तथा प्रत्येक दिन दोपहर 1.00 से 5.00 बजे तक सम्मेलन में स्त्री-विशिष्ट समस्याओं पर चर्चाएँ की गयीं।



2. सैद्धांतिक आधार

आज हमारे समाज में स्त्री की स्थिति जितनी अधिक दयनीय एवं शोषित है उतनी पहले कभी नहीं थी। आधुनिक विकास के पूर्व हमारे समाज की 80 प्रतिशत आबादी उत्पादन की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। आज जितनी संख्या में स्त्रियों के हाथ में रोजगार है उससे कई गुना अधिक स्त्रियाँ रोजगार में लगी हुई थीं। यही नहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के कार्यक्षेत्र में उन्हें विशेषज्ञों का सा सम्मान था तथा एक बड़ी संख्या में स्त्रियाँ इस कार्यक्षेत्र में थीं। इस प्रकार समाज को सहज स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध होती रहीं। बच्चों के लालन-पालन, खाद्य-पदार्थ निर्माण एवं गृह प्रबन्ध आदि क्षेत्रों में स्त्रियाँ सर्वज्ञ (स्वयंपूर्ण) समझी जाती रहीं एवं इन क्षेत्रों में उनके निर्णयों को ही मान्यता मिलती रही।

आज 'सामान्य स्त्री' को उपरोक्त सभी क्षेत्रों से बेदखल कर दिया गया है। कृषि और उद्योगों के आधुनिकीकरण ने स्त्रियों के हाथ से रोजगार छीनकर उन्हें घर में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। बाजार-व्यवस्था की जटिलता और प्रशासन तंत्र की सर्वथा अपरिचित पद्धतियों ने स्त्री का घर के बाहर सहज विचरण असम्भव बना दिया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने स्त्रियों के ज्ञान को मूर्खता करार दे दिया है और लोगों को डॉक्टर की दया पर निर्भर बनाकर कंगाल हो जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब स्त्रियाँ अपने परिवार के सदस्यों की साधारण-सी बीमारियों पर भी अनी राय देने में असमर्थ बना दी गई हैं। बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा का हाल यह है कि आज माँ और बच्चे के बीच प्राकृतिक सम्बन्ध को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा है। स्त्रियों को कोई भी व्यक्ति जिसे बच्चे को जानने और पालने का कभी कोई अनुभव नहीं रहा है आकर उपदेशों की झड़ी लगाकर यह जताने का पूर्ण प्रयास करता है कि बच्चे की आवश्यकताओं के बारे में स्त्रियाँ कितनी अज्ञानी हैं! बच्चों की शिक्षा के निरंतर बढ़ते जा रहे व्यावसायिक रूप ने शिक्षा का सार ऐसा बना दिया है कि इण्टर और बी. ए. की हुई मातायें अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी कई विषय पढ़ा सकने में असमर्थ महसूस करें और इस प्रकार उन पर एक असहायता का भाव हावी हो। दैनिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे राशन, ईंधन, पानी, बिजली आदि एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निकटस्थ प्रशासन से संवाद, सम्पर्क एवं कार्यवाही के तरीकों से आज की स्त्री जितनी वंचित और असहाय बना दी गयी है उतनी शायद कभी नहीं थी। परिणामतः गृह-प्रबन्ध, बच्चों का लालन-पालन और दैनिक जीवन के छोटे-छोटे निर्णय भी वह स्वयं नहीं कर पाती है। उसका आत्मविश्वास ही खो गया है। कुल मिलाकर वर्तमान आधुनिक विकास की प्रक्रिया ने स्त्रियों की सार्वजनिक भागीदारी के अवसरों को सीमित कर उन्हें निष्क्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह आधुनिकीकरण समाज के मुट्ठीभर लोगों को (स्त्री-पुरुषों को) सक्रियता के असीमित अवसर प्रदान कर रहा है और अन्य सभी को जिनमें स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है निष्क्रियता के अंधेरे में ढकेल

रहा है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों पर अन्याय और शोषण का पैमाना तेजी से बढ़ता जा रहा है।

(क) स्त्री-विकास की दृष्टि

समाज में स्त्री की स्थिति पुनः सम्माननीय एवं न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बहुसंख्य 'सामान्य स्त्रियों' को भी सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर प्राप्त हों। वर्तमान व्यवस्थाओं में भागीदार बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं सुविधायें स्त्रियों को आज सहज उपलब्ध नहीं हैं और न हो सकती हैं। इसलिए इनके बल पर सामान्य स्त्रियाँ सक्रिय होकर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी, इसकी आशा करना व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के पास विद्यमान ज्ञान व कौशल के आधार पर ही उन्हें व्यापक समाज में सक्रिय करने के अवसर प्रदान करना एक सशक्त एवं प्रभावी शुरुआत होगी। दूसरे शब्दों में जो कार्यक्षेत्र सदियों से स्त्रियों के पास रहे हैं तथा जिनमें स्त्रियों का ज्ञान एवं कौशल सदैव प्रशंसित होता रहा है उन क्षेत्रों में औद्योगिक स्तर पर उत्पादन एवं सेवा के अधिकार स्त्रियों को दिये जायें। जैसे खाद्य-पदार्थ निर्माण में खेतों में उत्पादन से लेकर भण्डारण, सफाई एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के निर्माण तक सभी प्रक्रियाओं के बारे में आज सामान्य स्त्री के पास ज्ञान एवं कौशल है। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग में रूई के उत्पादन से लेकर, चुनाई, सफाई, ओटाई, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, सिलाई, कढ़ाई आदि का ज्ञान स्त्रियों के पास है। इसके अलावा वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल से दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, सजावट सामग्री एवं खिलौने बनाने का ज्ञान एवं कौशल भी रखती हैं। अतः खाद्य-पदार्थ निर्माण, वस्त्र-उद्योग, खिलौने, सजावट सामग्री आदि वस्तुओं का उत्पादन अनिवार्यतः पारिवारिक उद्योगों में किया जाय तो सामान्य स्त्री को सक्रिय होने के असंख्य रास्ते खुलते हैं। इसी के साथ स्त्रियाँ समाज में अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय दखल लेने की क्षमता को विकसित कर पायेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासन में स्त्रियाँ विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमता रखती हैं किन्तु इन क्षेत्रों के संचालन में जब तक स्त्रियों के ज्ञान और विद्या का समावेश नहीं होता तब तक सामान्य स्त्रियों की भागीदारी बढ़ने की सम्भावनाएँ भी नहीं बनती हैं।

(ख) स्थानीय समाज की भूमिका

आज की शासन पद्धति के तहत सामान्य व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पूर्णतः प्रशासन पर निर्भर है। और प्रशासन तंत्र सामान्य व्यक्ति से बहुत दूर है। अतः स्थानीय स्तर पर छोटी-मोटी सुविधाओं के लिए भी राजधानी तक दौड़ लगानी पड़ती है जो सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है और स्त्रियों के लिए तो असम्भव ही है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के विकास के वैकल्पिक मार्ग जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है, को प्रशस्त करने में स्थानीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में स्थानीय समाज को मुख्य रूप से दो स्तरों पर सक्रिय करना अनिवार्य है।

1. दैनिक जीवन के लिए आवश्यक व घरेलू वस्तुएँ जो स्थानीय समाज की स्त्रियाँ या दस्तकार बनाते हैं उन्हें स्थानीय समाज प्राथमिकता देकर इस्तेमाल करना प्रारम्भ कर दे तो सामान्य स्त्रियों के सक्रिय होने के ठोस विकल्प आकार लेते दिखायी देने लगेंगे।

2. स्थानीय शासन तंत्र के पास स्थानीय आवश्यकतानुसार संसाधन, बाजार, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं को बनाने के अधिकार हों। अतः स्थानीय शासन इकाईयों में उद्योगशील स्त्री एवं दस्तकारों का उचित प्रतिनिधित्व होना भी अनिवार्य होगा। इस दिशा में जन-जागरण के कार्यों को आकार देने में स्थानीय समाज को सक्रिय होना होगा।

(ग) स्त्री-हित में सार्वजनिक कार्य के प्रकार

स्त्रियों के हित में सार्वजनिक कार्यों के प्रकार एवं स्त्रियों के संगठन के प्रकार बहुत हद तक परस्पर निर्भर हैं। हमारे समाज में वर्तमान सदी में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आदि विभिन्न संगठनों (जैसे जाति, उद्योग, पार्टी आदि) के आपसी बदलते रिश्तों के संदर्भ में समाज की गति को समझने के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और इसी सिद्धांत के सार्वजनिक रूप को राजनीति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आज की राजनीति समाज के विभिन्न वर्गों या समुदायों और संगठनों के आपसी संघर्षों को निरंतर जीवित रखने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न संगठन अपने संकुचित हित को प्राथमिकता देने में जान तक लगा देते हैं और व्यापक समाज के संदर्भ में उनकी भूमिका के न्यायपूर्ण होने का प्रश्न ही गौण हो जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर, राजकीय कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के मजदूर एवं कर्मचारी आदि तबकों की हड़तालें जो अपने लिये और अधिक सुरक्षित जीवन की मांग करते हैं, को नाजायज कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। शिक्षित समुदाय द्वारा स्त्रियों के शोषण का कारण पुरुष-सत्ता में देखना भी इसी राजनीतिक दृष्टि का अंग है।

ऐसी राजनीति के प्रति सामान्य भारतीय स्त्री की उदासीनता स्वभावतः है और यह आज उनकी शक्ति का एक स्रोत है। सामान्य स्त्रियाँ आज भी अपनी मूल्य-मान्यताओं और व्यवहार में उन परम्पराओं को महत्त्व और मान्यता देती हैं, जिनमें सम्पूर्ण समाज के विभिन्न घटक एक-दूसरे पर निर्भर माने गये हैं और उनके बीच संघर्ष की तुलना में सहअस्तित्व की धारा अधिक प्रबल रही है। सामान्य बहुसंख्य स्त्रियाँ किसी एक वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, व्यवसायिक संगठन में नहीं बांधी जा सकती हैं और इसलिए आज की स्वार्थपूर्ण राजनीति को चुनौती देने की क्षमता रखती हैं।

अतः स्त्रियों की समस्याओं को सार्वजनिक रूप से सामने लाने एवं इनके लिए संघर्ष करने के प्रचलित तरीकों में परिवर्तन आवश्यक होगा तथा प्रचलित संगठन के प्रकारों के सीमित दायरों से बाहर निकलकर गतिविधियों को आकार देना होगा। स्त्री संगठनों के वर्तमान स्वरूपों में सामान्य स्त्री की भागीदारी नहीं हो पायेगी।



नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी विचार पर्चा

आज स्त्री का आर्थिक रूप से सबल होना अनिवार्य है किन्तु हम स्त्रियों में ज्यादातर स्त्रियाँ अनपढ़ हैं। जो गिनी-चुनी पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ हैं, आज उन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही है तो हमें कैसे मिलेगी? इसलिए किसी तरह के वस्तु उत्पादन का उद्योग कर हम आर्थिक रूप से सबल बनें यही आज एकमात्र मार्ग हमारे सामने है।

हमारी क्षमता

हम स्त्रियाँ कौन से उद्योग कर सकती हैं? भोजन एवं वस्त्र मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं और आज बाजार में जितनी वस्तुएँ बिक रही हैं उनमें लगभग तीन-चौथाई हिस्सा खाद्य-सामग्री एवं वस्त्र द्वारा निर्मित वस्तुओं का है। सभी स्त्रियाँ इन दोनों ही क्षेत्रों से सम्बन्धित हर प्रकार का कौशल रखती हैं। जैसे खाद्य-सामग्री के क्षेत्र में पैदावार से लेकर खलिहान तक की जाने वाली प्रक्रियाएँ, भण्डारण, सफाई, पिसाई एवं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बनाने में हर कदम पर लगने वाले कौशल हम सभी स्त्रियों के पास है। उसी प्रकार वस्त्र में कपास या ऊन की पैदावार से लेकर सफाई, कटाई, रंगाई, बुनाई, छपाई, सिलाई, कढ़ाई आदि का कौशल हम सभी स्त्रियों के पास है। इसलिए अगर आज भी हम स्त्रियाँ इन वस्तुओं को बनायें तो स्त्रियों के लिए सम्माननीय रोजगार की असीमित सम्भावनाएँ बनती हैं।

हमारी स्थिति

किन्तु आज हमारे हाथों में से इन सामग्रियों के उत्पादन का अधिकार छीन लिया गया है। क्योंकि आज ये सभी वस्तुएँ बड़ी कम्पनियों द्वारा मशीनों से बनवायी जा रही हैं। कुछ स्त्रियाँ जो आज इन क्षेत्रों में दिखायी देती हैं वे मात्र सस्ते मजदूर की हैसियत से हैं। अन्य उद्योगों में भी जैसे माला व बीड़ी बनाने में, बिन्दी चिपकाने में, पैकिंग में, पापड़ बनाने आदि में स्त्रियाँ मात्र मजदूर हैं जिन्हें वस्तु-निर्माण से होने वाली आमदनी का सबसे छोटा हिस्सा मिलता है और जिनकी उद्योगों में केवल तभी तक जरूरत है जब तक उनके कार्य कर सकने वाली मशीन नहीं आ जाती। **इन कारणों से स्त्रियाँ निरन्तर अपने रोजगार से ठीक उसी तरह बेदखल की जा रही हैं जैसे दस्तकार पहले किये गये हैं।** नतीजे स्वरूप समाज में गरीबी बढ़ी है और समाज में स्त्रियों की भागीदारी घटी है।

हमारा रास्ता

हम स्त्रियाँ सदियों से खाद्य पदार्थ, वस्त्र एवं वस्त्र से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करती आ रही हैं और यह हमारा बुनियादी अधिकार है। इस बुनियादी अधिकार को पुनः प्राप्त करके ही हम सबल बन सकती हैं और गरीबी समाप्त कर सकती हैं।

इसी विचार के तहत वाराणसी में फरवरी-मार्च 1995 में छः अलग-अलग स्थानों पर

सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था। स्थानीय बाजारों में स्थानीय स्त्री-पुरुषों द्वारा बनायी वस्तुओं को आरक्षण मिले, इस पर सभी भागीदार स्त्रियाँ एकमत थीं। इस माँग को वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा गया तथा अपनी माँग को सबल बनाने के लिए वाराणसी की स्त्रियों के बीच संगठन कार्य किया जा रहा है।

स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग के इस अभियान को अब गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर में विस्तार दिया जा रहा है : दिसम्बर 1995 में गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर में सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन है। इन प्रदर्शनियों में कोई भी स्त्री अपने हाथ से बनी वस्तु लाकर बेच सकती है। स्टाल लगाने का कोई शुल्क नहीं है। इन प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों का उद्देश्य है —

- (1) स्त्रियों के हाथों की कला, कौशल, क्षमता एवं योग्यता को समाज के सामने लाना।
- (2) खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र के क्षेत्र स्त्रियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। अतः एक गांव या नगर की खाद्य एवं वस्त्र की आवश्यकता उसी गांव या नगर की स्त्रियों द्वारा पूरी की जा सके ऐसी व्यवस्था की मांग करना।
- (3) स्त्रियों के कौशल के आधार पर औद्योगिक उत्पादन में निश्चित रोजगार (मजदूरी नहीं) की मांग करना।

यह एक अराजनैतिक सम्मेलन है।

कार्यक्रम

(1) प्रदर्शनी

प्रदर्शनी में मिट्टी, लकड़ी, धातु, वनस्पति, सूत और वस्त्र से बनी वस्तुएँ रखी जा सकती हैं। स्थानीय दस्तकार भी अपनी वस्तुएँ इन प्रदर्शनियों में रखकर बेच सकते हैं। जो भी महिला या दस्तकार पुरुष स्टाल लगाना चाहते हैं वे सीधे प्रदर्शनी स्थल पर पहुँचें। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु पीछे लिखे पत्तों पर सम्पर्क करें।

(2) सम्मेलन

प्रदर्शनी स्थल पर दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान स्थानीय बाजार में स्थानीय स्त्री-पुरुषों द्वारा निर्मित वस्तुओं को सुरक्षा मिले इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर खुली चर्चा होगी। ध्वनि विस्तारक एवं मंच व्यवस्था इस प्रकार होगी कि इस चर्चा में जन साधारण हिस्सा ले सकें तथा प्रत्येक स्त्री अपने विचार प्रकट कर सके। स्त्रियों की सहमति से एक मांग पत्र भी बनाया जायेगा जिसे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जायेगा।



3. कार्य-पद्धति

सम्मेलन का कार्य क्षेत्र वाराणसी का नगरीय एवं आसपास का ग्रामीण क्षेत्र था। वाराणसी उद्योगों का नगर है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। यहाँ घर-घर में विभिन्न कलाओं में माहिर कारीगर स्त्री-पुरुष अपनी कृतियों को गढ़ते हुये देखे जाते हैं। लगभग सभी पुश्तैनी उद्योगों में लगे कारीगरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं और कच्चे माल को प्राप्त करने से लेकर निर्मित वस्तु को बाजार में बेचने के बीच जितने चरणों से उन्हें गुजरना पड़ता है उन सभी में इतना अधिक संघर्ष है कि कारीगर स्त्री-पुरुष मजदूर बनने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। नगर में शिक्षित एवं अशिक्षित ऐसी गृहणियों एवं युवतियों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो विभिन्न हस्तकलाओं में माहिर हैं किन्तु किसी भी उद्योग से नहीं जुड़ी हैं और आमदनी के सम्माननीय मार्गों की खोज में हैं। नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए नगर के विभिन्न स्त्री-समूहों का चुनाव किया गया तथा कार्य की सुविधा के लिए तथा स्त्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये नगर को भौगोलिक रूप से पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया। इसी की चर्चा हम आगे करेंगे।

(क) स्त्री-समूहों का चुनाव

सम्मेलन के लिए वे सभी स्त्रियाँ महत्वपूर्ण मानी गईं जो छोटे-मोटे स्तर पर भी उत्पादन की गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं या औद्योगिक उत्पादन के कौशल को हासिल कर चुकी हैं तथा इनसे सम्बन्धित प्रशिक्षण के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा सम्मेलन ने उन सभी गृहणियों और छात्राओं को महत्वपूर्ण माना है जो किसी भी तरह के औद्योगिक उत्पादन का कौशल तो रखती हैं लेकिन इनसे सम्बन्धित उत्पादन या प्रशिक्षण की गतिविधियों से नहीं जुड़ी हैं। इस प्रकार निम्नलिखित स्त्री-समूहों से सम्पर्क कर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया।

- * परम्परागत उद्योगों में लगी स्त्रियाँ जैसे बुनकर स्त्रियाँ, कुम्हारों की स्त्रियाँ, रंगरेजों की स्त्रियाँ, मल्लाहों की स्त्रियाँ, काष्ठ-शिल्पियों की स्त्रियाँ, जरदोजी का कार्य करने वाली स्त्रियाँ आदि।
- * असंगठित उद्योगों में लगी स्त्रियाँ, जैसे बीड़ी बनाने वाली, बिन्दी चिपकाने वाली, माला बनाने वाली, पैकिंग करने वाली आदि।
- * सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, प्रिंटिंग, खिलौने आदि की प्रशिक्षण कक्षाएँ (सरकारी एवं निजी दोनों) चलाने वाली स्त्रियाँ, अध्यापिकाएँ एवं छात्राएँ।
- * सिलाई, कढ़ाई, बुनाई पेन्टिंग, खिलौने आदि के उत्पादन में लगी स्त्रियाँ।
- * सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग को जानने वाली सामान्य गृहणियाँ।

- * खाद्य सामग्री जैसे पापड़, अचार, मुरब्बे, मसाले, चटनियाँ नमकीन आदि के उत्पादन में लगी स्त्रियाँ।
- * खाद्य सामग्री को बनाने का कौशल रखने वाली सामान्य गृहणियाँ।
- * सरकारी रोजगार योजनाओं के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण एवं शहरी स्त्रियाँ।
- * गृहविज्ञान की अध्यापिकायें एवं छात्रायें (आठवीं से डीग्री कॉलेज तक)।
- * प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों (सरकारी एवं निजी) की अध्यापिकायें।

परम्परागत उद्योगों में लगी स्त्रियों का समूह सबसे बड़ा है तथा इनमें विभिन्न आर्थिक स्तर की स्त्रियाँ हैं किन्तु इनमें से अधिकांश स्त्रियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा दैनिक जीवन कष्टप्रद है। बुनकर स्त्रियों के पास दिनभर कार्य होता है क्योंकि बनारस की रेशमी साड़ियों का देश और विदेश में बाजार तेजी से बढ़ा है। बढ़ते हुये व्यापार से व्यापारियों की कोठियाँ बनती चली गई हैं किन्तु कारीगर की आर्थिक स्थिति में विशेष अंतर नहीं आया है। यह जरूर है कि इस उद्योग में लगे कारीगर स्त्री-पुरुषों को वर्षभर कार्य (रोजगार) जरूर मिल जा रहा है किन्तु वे अपने हुनर को सस्ती दरों पर बेचने के लिए बाध्य हैं। अन्य परम्परागत उद्योगों में लगी स्त्रियों को 12 महीने कार्य भी नहीं मिलता।

मजदूरी पर कार्य करने वाली स्त्रियों का भी समूह काफी बड़ा है जिनमें बीड़ी बनाने वाली, बिन्दी चिपकाने वाली, मोती माला बनाने वाली, रेडिमेड वस्त्र बनाने वाली, पापड़ बनाने वाली आदि स्त्रियाँ आती हैं। इन सभी स्त्रियों से सस्ती दरों पर वस्तुओं का निर्माण करवाया जा रहा है किन्तु दूसरा कोई भी आमदनी का स्रोत न मिल सकने के कारण तथा इन्हें घर बैठे कर सकने की सुविधा होने के कारण स्त्रियाँ इन उद्योगों में लगी हुई हैं। इन स्त्रियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

अन्य सभी समूहों की स्त्रियों की आर्थिक स्थिति उपरोक्त समूहों की स्त्रियों से कुछ अच्छी है। सिलाई, कढ़ाई आदि के प्रशिक्षण स्कूल एवं विद्यालयों में पढ़ाने वाली स्त्रियों की पहचान सम्मेलन के लिए पहल लेने वाली स्त्रियों के रूप में की गई क्योंकि इन्हीं गतिविधियों और समूहों से जुड़ी हुई स्त्रियाँ आज बाजार में प्रवेश करने के मार्गों की खोज में हैं। अतः प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल की अध्यापिकाओं और छात्रायों को भी विशेष रूप से पहल ले सकने वाली स्त्रियों के रूप में देखा गया।

उपरोक्त स्त्री-समूहों के अलावा समाज के उन सभी घटकों के पुरुषों से सम्मेलन के लिए सहयोग देने एवं भागीदार होने की अपील की गई जिन्हें आधुनिक व्यवस्थाओं के कारण अपने कार्यों से बेदखल हो जाना पड़ा है। इस प्रकार बुनकरों, मल्लाहों, कुम्हारों, धोबियों आदि की पंचायतों में जाकर सम्मेलन के उद्देश्य एवं वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से रखा गया।

(ख) भौगोलिक क्षेत्र

स्त्रियों के लिए सम्मेलन जैसे सार्वजनिक कार्यों को आकार देने में एक मुख्य बात का

विशेष रूप से ध्यान रखा गया जो यह थी कि स्त्रियाँ घर से बहुत अधिक दूर जा सकने में कठिनाई महसूस करती हैं क्योंकि आने-जाने में समय एवं धन दोनों ही वे खर्च नहीं कर सकती हैं। इसलिए नगर में एक स्थान पर सम्मेलन करने की बजाय विभिन्न सात स्थानों पर सम्मेलन करने की योजना बनाई गई तथा इस अनुसार नगर को मुख्य रूप से पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा गया जिनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल थे।

दक्षिण क्षेत्र : बी.एच.यू. परिसर, बी.एच.यू. के आस-पास का ग्रामीण क्षेत्र, नगवां, लंका, नरियाँ, रश्मिनगर, साकेत कालोनी, अस्सी, भदैनी, सोनारपुरा, रवीन्द्रपुरी, कबीरनगर, नवाबगंज, खोजवाँ, भेलूपुर आदि।

मध्य क्षेत्र : रेवड़ी, कमच्छा, रामापुरा, रथयात्रा, कालीमहल, औरंगाबाद, पितरकुण्डा, लल्लापुरा, छित्तपुर, शास्त्रीनगर कालोनी, सिगरा, मलदहिया, लहुराबीर, नई सड़क, गोदौलिया, मदनपुरा, चौक, काजीपुरा खुर्द, हबीबपुरा, जियापुरा आदि।

राजघाट क्षेत्र : राजघाट, प्रहलादघाट, गायघाट, मुकीमगंज, मच्छोदरी, मैदागिन, गोल मार्केट, दारानगर, ईश्वरगंगी, जैतपुरा, औसानगंज नाटी इमली, लालखां का चौहटटा, कोनियां, छित्तनपुरा, पाण्डेपुर, नदेसर, काशी विद्यापीठ परिसर आदि।

बजरडीहा : बजरडीहा, सुंदरपुर, नेवादा, आदित्यनगर, ककरमत्ता, डी.एल. डब्ल्यू परिसर, पटिया, रानीपुर, लखराँव, शिवरतनपुर, महमूरगंज शिवपुरवाँ आदि।

ग्रामीण क्षेत्र : काशी विद्यापीठ खण्ड के आठ गाँव-भगवानपुर, छित्तपुर, नैपुरा कलाँ, नरोत्तमपुर, टीकरी, तारापुर, मुड़ादेव, सराय डंगरी तथा चिरई गाँव विकास खण्ड का एक गाँव सराय मुहाना।

दक्षिण क्षेत्र में एक, मध्य क्षेत्र में दो, बजरडीहा में दो तथा राजघाट एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः एक-एक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

(ग) सम्पर्क के प्रकार

उपरोक्त भौगोलिक क्षेत्रों में बसी “सामान्य स्त्रियों” के समूहों को सम्मेलन के विचारों से अवगत कराने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया गया :

- * पत्र एवं पर्चे
- * सामूहिक बैठकें
- * व्यक्तिगत वार्तायें

रोजगार योजनाओं से लाभान्वित स्त्रियों की सूची को प्राप्त कर प्रत्येक स्त्री को पत्र भेजकर सम्मेलन की विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रकार नगर महापालिका से जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना से लाभान्वित स्त्रियों को तथा ब्लॉक ऑफिस से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए चलायी जा रही रोजगार योजनाओं से लाभान्वित स्त्रियों से सम्पर्क किया गया।

मोहल्लों और बस्तियों में जाकर घर-घर में स्त्रियों के बीच पर्चों का वितरण कर उनसे व्यक्तिगत वार्ताओं के दौर चलाये गये तथा उनके अंदर की कला एवं कौशल को समाज के सामने लाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। मोहल्लों में स्त्रियों के द्वारा निर्मित सामानों की प्रचार प्रदर्शनियाँ आयोजित कर सम्मेलन के विचार का प्रसार किया। ये प्रचार प्रदर्शनियाँ मंदिरों, दरगाहों, मुख्य बाजारों आदि में लगाई गयीं।

सिलाई स्कूलों, प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों पर अध्यापिकाओं एवं छात्राओं की कई बैठकों के द्वारा सम्मेलन में उनकी भागीदारी के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की गई तथा सम्मेलन के वैचारिक पक्ष पर विचारों को आमंत्रित किया।

जाति पंचायतों की बैठकों में हिस्सा लेकर उद्योगशील जातियों के पुरुषों में सम्मेलन के विचार को रखकर उनके सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया।

सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने वाला विचार पत्रक 1 दिसम्बर 1994 को प्रकाशित किया गया तथा इसके वितरण के साथ ही सम्मेलन की तैयारी का कार्य प्रारंभ हुआ। पाँचों भौगोलिक क्षेत्र को मिलाकर इस पर्चे की 5000 प्रतियाँ वितरित की गईं।

दिसम्बर 1994 के अंतिम सप्ताह में प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्रीय स्त्रियों की बड़ी बैठकें आयोजित की गईं जिसमें सर्व सहमति से सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों के स्थान, दिन, समय, उद्घाटन पद्धति, अतिथियों के बुलाने के सम्बन्ध में, खर्च आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गये। नारी हस्त कला उद्योग समिति के चार केन्द्रों के अलावा नगर के चार सिलाई स्कूलों का सम्मेलन के लिए सम्पर्क-स्थान के रूप में चुनाव किया गया।

20 जनवरी 1995 को सम्मेलन के कार्यक्रम का पर्चा (परिशिष्ट-5, 10,000 प्रतियाँ) प्रकाशित किया गया तथा इस पर्चे के वितरण के साथ सम्मेलन के लिए आर्थिक सहयोग के लिए स्थानीय समाज से चन्दा एकत्र करने का कार्य भी प्रारंभ हुआ। यह पर्चा मुख्य रूप से स्थानीय समाज की भागीदारी को स्पष्ट करने के लिए वितरित किया गया। अतः इस पर्चे के वितरण के साथ ही स्त्री-पुरुष दोनों की सम्मिलित बैठकों में स्थानीय समाज की स्त्री-विकास में क्या भूमिका होनी होगी इसे स्पष्ट करने के प्रयास किये गये।

(घ) महत्वपूर्ण मुद्दे

व्यक्तिगत वार्ताओं एवं सामूहिक बैठकों में स्त्री-विकास के संभावित मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष बल दिया गया।

- * स्त्रियों को मात्र श्रमिक बनाने वाले कार्य स्त्रियों के हित में नहीं है। उन्हें कारीगर बनाने वाले मार्ग ही विकास की ओर ले जायेंगे। मजदूरी (श्रमिक जो करता है) मजबूरी का नाम है। अतः बीड़ी बनाना, रेडिमेड वस्त्र सिलना, बिन्दी बनाना या मोती बनाना आदि ये सारे कार्य जब तक मजदूरी पर किये जा रहे हैं तब तक उनसे स्त्रियों को कोई लाभ नहीं है। पुश्तैनी उद्योगों में लगे लाखों स्त्री-पुरुष भी जो मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं उनका

भविष्य अंधकार की ओर ही जायेगा चाहे उनकी बनी हुई वस्तुओं का बाजार कई गुना बढ़ जाय। कारीगर वह है जिसका अपनी कृति पर अधिकार हो तथा इसके निर्माण के हर चरण पर भी उसका नियंत्रण हो।

- * स्त्रियाँ घर पर रहकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन करते हुये उत्पादन कर सकें ऐसी उत्पादन गतिविधियों को आकार देना ही स्त्रियों को विकास की ओर ले जायेगा।
- * सहज उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा ही स्त्रियाँ उत्पादन करें। दूर स्थित शहरों या विदेशों से आयातित वस्तुओं पर निर्भरता एवं अप्राकृतिक वस्तुओं (प्लास्टिक, सिन्थेटिक वस्त्र या रेशे, रासायनिक रंग आदि) का उपयोग स्त्रियों के शोषण का कारण बनते हैं।
- * निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए दूरस्थ बाजारों पर निर्भरता स्त्रियों के शोषण का कारण बनती है।

सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों में स्त्रियाँ किस प्रकार भागीदार बन सकती हैं इसे स्पष्ट करते समय निम्नलिखित मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिया गया :

- * हाथ से बनी हुई किसी भी वस्तु को स्त्रियाँ प्रदर्शनी में रख सकती हैं विशेष रूप से खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सजावट सामग्री, खिलौने एवं घरेलू उपयोग की वस्तुयें प्लास्टिक एवं सिन्थेटिक वस्तुओं से बनी सामग्री को न रखें इसका विशेष आग्रह रखा गया।
- * प्रदर्शनी में शामिल होने वाली महिलाओं को उत्पादन की लागत स्वयं लगाने का आग्रह रखा गया। सामान्य स्त्रियों के पास पूँजी नहीं है अतः उन्हें 5-10 रुपये की लागत से बनी वस्तुओं को लेकर भी प्रदर्शनी एवं सम्मेलन में शामिल हो सकने की सुविधा दी गई। एक वस्तु को बनाकर भी स्त्रियाँ शामिल हो सकती थीं। मजदूरी पर कार्य करने वाली स्त्रियों को एक पापड़ एक मोती माला या एक बिन्दी का पत्ता देकर शामिल होने की सुविधा रखी गई।
- * सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्त्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। कोई भी स्त्री आकर अपने हाथ से बनी वस्तुओं को प्रदर्शनी में आकर बेच सके इस पर विशेष ध्यान दिया गया। किसी भी एक संस्था या संगठन के तहत ही स्त्रियाँ संगठित हो सकती हैं, इसकी आवश्यकता को नकारा गया।
- * प्रदर्शनी स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में प्रत्येक घर से उस क्षेत्र की प्रदर्शनी का खर्च वहन करने के लिए चन्दा एकत्र किया गया तथा घर की स्त्रियों से प्रदर्शनी में आकर वस्तुओं की खरीददारी करने का आग्रह कर उनकी नैतिक जिम्मेदारी को स्पष्ट किया। सम्पन्न घरों की स्त्रियों को विशेष रूप से इस जिम्मेदारी से अवगत कराकर उन्हें सम्मेलन में भागीदार बनाया।

विभिन्न क्षेत्रों की क्षेत्रीय समितियों के गठन के उद्देश्य से आयोजित बैठकों में अच्छी संख्या में स्त्रियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण क्षेत्र में 36, मध्य क्षेत्र में 43, राजघाट क्षेत्र में 44, बजरडीहा

क्षेत्र में 25 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 20 स्त्रियों ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में स्त्रियाँ कौन-सी वस्तुयें बनाकर प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगी, प्रदर्शनी के स्थान, दिन, समय आदि निश्चित करने के अलावा निम्नलिखित निर्णय लिए गये :

- * सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के लिए किसी राजनैतिक दल से या सरकारी सहयोग नहीं लिया जायेगा।
- * सम्मेलन का उद्घाटन किसी कारीगर स्त्री से करवाया जायेगा तथा किसी भी राजनैतिक नेता या सरकारी अधिकारी को नहीं बुलाया जायेगा।
- * सरकार का सबसे निकटस्थ लोक-प्रतिनिधि सभासद होता है अतः प्रदर्शनियों में क्षेत्र के सभासदों को ही स्त्रियों की समस्यायें सुनने के लिए तथा उनके हुनर की क्षमता से परिचित कराने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। उन्हें बोलने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
- * प्रदर्शनी का स्थल क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की मदद से निःशुल्क प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।
- * किसी भी राजनैतिक दल से जुड़ी हुई स्त्री या स्त्रियों की संस्था सम्मेलन में हिस्सा ले सकती हैं किन्तु सम्मेलन में पार्टी के विचारों का प्रचार नहीं कर सकती हैं तथा महिला होने के नाते महिलाओं के विकास के मार्गों की खोज में सक्रिय होकर विचार व्यक्त कर सकती हैं।



4. सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों की विशेषतायें

नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन 4 फरवरी 1995 को ग्राम नरोत्तमपुर में नारी हस्तकला उद्योग समिति के प्रांगण में किया गया। उद्घाटन समारोह में आसपास के आठ दस गाँवों से स्त्रियाँ शामिल हुईं तथा उन्होंने अपने हाथ से बनी वस्तुओं को शहर में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए प्रस्तुत किया।

बसंतपंचमी सरस्वती अर्थात् विद्या की पूजा का दिन है। सम्मेलन की दृष्टि से यह दिवस महत्वपूर्ण माना गया। आज घर-घर में जो सरस्वती हैं उनकी विद्या को समाज नकार रहा है और सार्वजनिक सरस्वती-पूजन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विडम्बना पर प्रकाश डालते हुए उद्घाटन समारोह में स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों जैसे चरखा, सिलाई मशीन, सुई, धागा, बुनाई और कढ़ाई के उपकरण, चुल्हा, कढ़ाई, पलटा आदि की पूजा की गई तथा ग्रामीण कारीगर स्त्रियों ने मिलकर कई दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन की इस पद्धति को अगली सभी प्रदर्शनियों में अपनाया गया। प्रदर्शनियों में भागीदार कारीगर स्त्रियों ने कई दीप जलाकर अपने-अपने क्षेत्र की प्रदर्शनियों का उद्घाटन कर यह संकेत दिया कि स्त्री-ज्ञान एवं विद्या को समाज में पुनर्स्थापित करने के प्रयास का शुभारंभ होता है।

सभी स्थानों पर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन एक ही पंडाल में आयोजित किये गये तथा प्रदर्शनी में भागीदार स्त्रियों ने सम्मेलन में चलायी जा रही चर्चाओं में हिस्सा लिया। इस प्रकार स्त्रियाँ अपने सामानों की बिक्री करते हुये सम्मेलन की चर्चाओं में भागीदार बन सकीं। सम्मेलन में हो रही चर्चाओं की आवाज माइक द्वारा दूर-दूर तक पहुँच रही थी एवं आस-पास के बाजार एवं घरों के लोग चर्चाओं को सुन पा रहे थे।

प्रत्येक क्षेत्र के सम्मेलन में दूसरे दिन भागीदार सभी स्त्रियों ने मिलकर एक मांगपत्र बनाया। इस सभी मांगपत्रों को टाउन हॉल स्थित गाँधी भवन में हुये अंतिम सम्मेलन में प्रस्तुत कर खुली बहस के लिए रखा गया। इसी के आधार पर अंतिम रूप से एक मांगपत्र बनाया गया जिसे 8 मार्च 1995 को भागीदार स्त्रियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपा गया।

प्रत्येक क्षेत्र में दूसरे दिन सम्मेलन में आसपास के क्षेत्रों के सभासदों को आमंत्रित किया गया था किन्तु सुंदरपुर बाजार एवं दुर्गाकुण्ड के अलावा अधिकांश स्थलों पर सभासद नहीं आये। इस समय नगर महापलिका भंग होने के कारण भी शायद सभासदों ने आना उचित न समझा हो।

(क) स्त्रियों की भागीदारी

ग्राम नरोत्तमपुर के सम्मेलन में दिन भर वर्षा होने के बावजूद 70-80 ग्रामीण स्त्रियों ने हिस्सा लिया। गाँव में प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया किन्तु नगर में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए स्त्रियों ने अपने हाथ से निर्मित वस्तुओं को प्रस्तुत किया।

नगर के सभी सम्मेलनों एवं प्रदर्शनी में स्त्रियों की अच्छी भागीदारी रही। दुर्गाकुण्ड में 26 बीवी का रौजा फातमान में 13, रथयात्रा में 26, सुन्दरपुर में 17, महमूरगंज में 11 तथा टाऊन हॉल में 42 स्त्री-संस्थाओं एवं व्यक्तिगत स्त्रियों ने हिस्सा लिया। अधिकांश संस्थाओं की ओर से एक से अधिक दुकानें लगायी गईं। इस प्रकार प्रत्येक प्रदर्शनी में औसतमन 30-40 दुकानें लगीं जिन पर औसतन 100-150 स्त्रियों के हाथ का कौशल प्रस्तुत किया गया।

सभी समुदायों के स्त्रियोंकी भागीदारी सम्भव हो सके इसलिए ही नगर के कई क्षेत्रों में सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा स्थलों का चुनाव करते समय यह विशेष ध्यान रखा गया कि उद्योगशील स्त्रियों को स्थान दूर न पड़ें, स्थानीय समाज की भी भागीदारी हो सके और प्रदर्शनियों में बिक्री भी अच्छी हो। मुस्लिम स्त्रियों की भागीदारी को सहज बनाने के लिए बीवी का रौजा, फातमान में तथा ग्रामीण स्त्रियों की भागीदारी के लिए नरोत्तमपुर एवं सुन्दरपुर बाजार को सम्मेलन के स्थल के लिए चुना गया। रथयात्रा, महमूरगंज एवं टाऊन हॉल के स्थान विभिन्न समुदायों से जुड़े सभी नगरवासियों की भागीदारी को दृष्टि में रखकर निश्चित किये गये।

प्रदर्शनियों के दौरान रमजान का महीना चल रहा था इसके बावजूद मुसलमान स्त्रियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। बीवी का रौजा फातमान में दर्शकों में मुसलमान स्त्री-पुरुषों की भीड़ रही। दुर्गाकुण्ड, सुन्दरपुर एवं टाऊन हॉल की प्रदर्शनियों में दर्शकों की विशेष रूप से भीड़ रही। रथयात्रा प्रदर्शनी के दर्शकों में शिक्षित समुदाय की और सुन्दरपुर बाजार प्रदर्शनी में कृषक एवं दस्तकार स्त्री-पुरुषों की भीड़ रही। बीवी का रौजा फातमान, रथयात्रा एवं टाऊन हॉल की प्रदर्शनियों में कई स्कूलों के और इण्टर कॉलेज की छात्राओं को लेकर उनकी अध्यापिकायें आयीं तथा चर्चाओं में हिस्सा लिया।

प्रदर्शनियों में मुख्यतः सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ के उत्पादन में लगी स्त्रियाँ, विद्यालयों की अध्यापिकायें तथा गृहणियों की भागीदारी रही।

असंगठित क्षेत्र की स्त्रियों ने अपनी सामग्री को प्रदर्शनी में प्रस्तुत तो किया लेकिन वे स्वयं पूरे समय प्रदर्शनी स्थल पर नहीं रुक सकीं। सम्मेलन में उन्होंने अपनी समस्याओं को अवश्य रखा।

परम्परागत व्यवसायों से जुड़ी स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम रही। इसका कारण यह था कि एक तो ये सभी स्त्रियाँ अत्यधिक व्यस्त रहती हैं दूसरे, विपरीत शर्तों पर ही सही लेकिन इन्हें एक निश्चित बाजार उपलब्ध है। अतः सम्मेलन के प्रयास को वे एक अच्छी शुरुआत तो मानती हैं किन्तु अभी सक्रिय भूमिका निभाने में हिचकती हैं। एक अन्य कारण यह भी है कि वाराणसी के परम्परागत उद्योगों की वस्तुओं का मुख्यतः निर्यात होता है। अतः ये कारीगर स्थानीय बाजार को सुदृढ़ करने की बात को तुरंत हित में नहीं देखते हैं।

सम्मेलन के संचालन में अनौपचारिक वातावरण बनाने का विशेष प्रयास किया गया ताकि किसी भी स्त्री को मंच से बोलने में हिचक न हो। अनपढ़ स्त्रियाँ एवं सामान्य गृहणियाँ भी अपने

विचार, समस्याएँ एवं प्रतिक्रियाएँ रख सकें इसके लिए उनके अनुकूल तरीके अपनाये गये। दर्शक स्त्रियों को सम्मेलन में चल रही चर्चाओं में भागीदार बनाने के लिए बराबर ध्यान दिया गया। विभिन्न स्थलों के सम्मेलन में मंच का संचालन जिन स्त्रियों ने किया उनके नाम इस प्रकार हैं— नरोत्तमपुर में श्रीमती उर्मिला सिंह, दुर्गाकुण्ड में श्रीमती पद्मा जायसवाल एवं श्रीमती राधिका देवी, बीवी का रौज़ा फातमान में श्रीमती चन्दा यादव, सुश्री शहनाज परवीन एवं सुश्री नसरीन जहाँ, रथयात्रा में श्रीमती चन्दा यादव एवं सुश्री नसरीन जहाँ, सुन्दरपुर बाजार में सुश्री कंचनबाला, श्रीमती भागमनी एवं सुश्री शहनाज परवीन ने, महमूरगंज में श्रीमती भागमनी एवं सुश्री कंचनबाला ने तथा टाऊन हॉल गांधी भवन के सम्मेलन में श्रीमती प्रेमलता सिंह तथा श्रीमती चित्रा सहस्रबुद्धे ने मंच का संचालन किया।

ए. ओ. मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कॉलेज, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, बसंत कन्या इण्टर कॉलेज एवं बसंत कन्या महाविद्यालय, सेण्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, अम्बिका शिशु सदन, हरिश्चन्द्र इण्टर बालिका विद्यालय आदि विद्यालयों से आयी छात्राओं को (संख्या 50 से 300 तक) सम्मेलन के उद्देश्यों से परिचित कराने में अलग से समय दिया गया तथा छात्राओं के साथ आर्यी अध्यापिकाओं को सम्मेलन की चर्चाओं में भागीदार बनाकर माँगपत्र बनाने में सम्मिलित किया गया।

प्रदर्शनी स्थलों को उपलब्ध कराने में भी स्थानीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्गाकुण्ड का मैदान मंदिर के महंत की पत्नी श्रीमती इंदिरा दुबे, बीवी का रौज़ा, फातमान का मैदान श्री मुख्तार अहमद, रथयात्रा पर सुश्री मीना शाही ने सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र के सामने का प्रांगण, सुन्दरपुर बाजार में श्री रामसूरत पटेल की दुकान एवं सामने का स्थान, महमूरगंज में डॉ. विभा मिश्रा के नर्सिंगहोम के सामने का प्रांगण सम्मेलन के लिए निःशुल्क प्रदान किया गया।

(ख) भागीदार स्त्रियों की सोच

नरोत्तमपुर गाँव में सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बीड़ी बनाने वाली, मोतीमाला बनाने वाली एवं रेडिमेड वस्त्र सिलने वाली स्त्रियों ने अपनी मजदूरी के कार्य की मजबूरियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखा। कृषि कार्य से बरसों पहले ही बेदखल की गई ये स्त्रियाँ मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। घर छोड़कर दूर नहीं जा सकतीं, इस मजबूरी का फायदा उठाकर उनके श्रम का सस्ते में दोहन कर लिया जाता है और रोजगार देने वाले के एहसान के नीचे इन्हें झुकना भी पड़ता है। मोतीमाला एवं बीड़ी बनाने वाली स्त्रियों ने इस मजबूरी को बहुत ही साफ रखा। श्रीमती दौला और श्रीमती कलावती ने यह भी स्पष्ट किया कि हमें बीड़ी बनाने या मोती माला बनाने में कोई खुशी नहीं है। हम भी कुछ उपयोगी वस्तुएँ बनाकर बाजार में बेचना चाहती हैं लेकिन हमसे खरीदेगा कौन? लाइसेंस पाने का चक्कर इतना बुरा है कि परिवार ही लुट जाते हैं।

गाँव में रोजगार योजनाओं से लाभान्वित स्त्रियों की विडम्बना को श्रीमती कलावती ने प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछली बार मोमबत्ती बनाने की रोजगार योजनाओं के तहत गाँव की स्त्रियों को कच्चा माल एवं लोन दिया गया था किन्तु माल बनाकर स्त्रियाँ उसे बेच

नहीं पा रही हैं और न लोन वापस कर पा रही हैं। इसी घटना से सबक लेकर सिलाई या रोजगार करने के लिए स्त्रियाँ लोन उठाने में हिचक रही हैं। सरकार क्यों नहीं बाजार उपलब्ध कराती है? लोन लेने में रिश्तत का बाजार गर्म है। ऐसे में कारीगर चक्कर काटते रह जाता है और अफसरों की खुशामद कर आधी राशि ही उसके पास तक आ पाती है।

श्रीमती अमरावती जो खादी ग्रामोद्योग भण्डार से रूई लेकर सूत कातती हैं और जिसे इन्होंने गुलामी माना है, ने कहा कि रूई हमें खुले बाजार से सस्ती दरों पर उपलब्ध होना चाहिए। खादी ग्रामोद्योग भण्डार से रूई लेने में उन्हें एक तो नगद धनराशि नहीं दी जाती दूसरा, जो वस्त्र मिलते हैं वे बहुधा पुराने होते हैं।

नगर के विभिन्न सम्मेलनों में निम्नलिखित मुद्दे उभर कर आये :—

- * स्त्रियाँ जो सामान बनाती हैं आज उनकी मजदूरी के दर घटते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पेटिकोट की सिलाई दो वर्ष पूर्व 24 रू0 दर्जन थी जो घटकर 18 रू0 दर्जन हो गई (कहीं-कहीं 12 रू0 दर्जन भी)। स्त्रियों के कार्यों में महंगाई बढ़ने के साथ मजदूरी नहीं बढ़ती है। चूँकि स्त्रियों को ये कार्य घर पर करने के लिए दिए जा रहे हैं तो यह मानसिकता है कि उनका श्रम सस्ता हो सकता है और उन्हें अधिक मूल्य नहीं दिया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र की मजदूर स्त्रियों ने जैसे बीड़ी और मोतीमाला बनाने वाली ने यह भी कहा कि आज निरंतर कम होती जा रही मजदूरी पर ही सही हमें काम तो मिल जा रहा है लेकिन यही काम अगर मशीनों से करवाने लग जायेंगे तो हम कहाँ जायेंगे?
- * हम स्त्रियाँ जो सामान बनाती हैं वह सामान बड़ी कम्पनियाँ भी बनायेंगी तो हमारा सामान कौन खरीदेगा? उसी तरह हम जो सामान बनाती हैं उसकी खपत नहीं हो सकती जब तक की बाहर के शहरों से ये सामान आयात होते हों। अतः यह जरूरी है कि बाजार में स्त्रियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आरक्षण हो।
- * सरकार हमें प्रशिक्षण एवं ऋण के छलावे में डाले रखती है। प्रशिक्षण और ऋण योजनायें एक तो बहुत कम संख्या में स्त्रियों तक पहुँच पाती हैं और जो पहुँचती है उनसे स्त्रियाँ कोई स्थायी उद्योग खड़ा नहीं कर पाती क्योंकि निर्मित सामग्री की बिक्री की कोई निश्चितता नहीं है। एक के बाद एक कई स्त्रियों ने ऋण प्राप्त करने के लिए उन्हें कितनी कठिनाईयाँ उठानी पड़ी इसका विस्तार से वर्णन कर यह स्पष्ट कहा कि सरकारी ऋण लेने की गलती किसी स्त्री को नहीं करनी चाहिए। बाजार निश्चित हो जाये तो ऋण लेने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।
- * खाद्य पदार्थ को बनाकर बेचने के लिए सरकारी लाइसेंस को प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है। दुर्गाकुण्ड, सुंदरपुर एवं टारुनहॉल के सम्मेलन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और स्त्रियों ने यह महसूस किया कि लाइसेंस या इस तरह के सरकारी नियम-कानून वास्तव में स्त्रियों को उत्पादन के अधिकार से वंचित करते हैं। अतः इन या इस जैसे नियम कानूनों का विरोध होना चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने का कार्य

ग्राहकों की जिम्मेदारी है और इसलिए स्थानीय बाजारों को सुदृढ़ करना अनिवार्य है ताकि उत्पादनकर्ता एवं ग्राहक में अधिक दूरी न हो।

- * कारीगर एवं ग्राहकों के बीच बिचौलियों की संख्या बढ़ने से कारीगर को अपने श्रम और कला का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। स्थानीय बाजार को सुदृढ़ कर उसमें स्थानीय कारीगर स्त्रियों (एवं पुरुषों) की उत्पादन सामग्री को प्राथमिकता मिलेगी तो बिचौलियों की संख्या भी घटेगी।
- * हम स्त्रियाँ जो छोटी-छोटी पूँजी लगाकर उद्योग करती हैं, अपने उत्पादन के लिए खुले बाजार से कच्चा माल खरीदना पड़ता है जो बहुत महंगा पड़ता है। बड़ी कंपनियों को सरकार सस्ती दरों पर कच्चा माल देती है तो हमें भी क्यों नहीं दे सकती?
- * हम स्त्रियाँ जो सामान बनाती थीं या आज बना रही हैं वो काम हमारे हाथ से इसलिए भी छीन जाता है कि इन सामानों को बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल बड़ी कंपनियाँ उठा ले जाती है। अतः हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए रूई, सरपत, जूट आदि। प्लास्टिक और सिन्थेटिक रेशों जैसे नये प्रकार के कच्चे माल के आ जाने से भी हमारे सामानों को कोई नहीं खरीदता। बाँस से वस्तुयें बनाने वाली स्त्रियों ने प्लास्टिक की विशेष रूप से आलोचना की।
- * प्रदर्शनी में आये कई ग्राहकों ने स्त्रियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मंहगे होने की शिकायत किये जिस पर लगभग सभी सम्मेलनों में भागीदार स्त्रियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये यह कहा कि हम स्त्रियों के सामान की तुलना कंपनी में मशीनों से बनाये जा रहे सामान से करना गलत होगा। बड़ी कंपनियों को कच्चा माल उपकरण एवं बिजली आदि अत्यंत सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है जबकि हमें सभी सामान मंहगी दरों पर खरीदना पड़ता है और फिर हम अपने हाथ की कला का ही इसमें उपयोग कर रहे हैं। अतः; इस बात को ग्राहक को ध्यान में रखना चाहिए। गुणवत्ता की कोई शिकायत हो तो हम उसे मानने को तैयार हैं और उसमें सुधार करना आवश्यक समझेंगे किन्तु मूल्य में कमी करने का सवाल नहीं उठता है। जो लोग यहाँ से सस्ते में वस्तुओं की खरीददारी की इच्छा रखते हैं वे स्त्रियों के विकास में बाधा पहुँचा रहे हैं। हमारी बनी हुई वस्तुओं को उचित दर पर तभी बेचा जा सकता है जब हमें भी सरकार सुविधायें दे।
- * सरकार निर्यात पर जोर दे रही है। किन्तु वह निर्यात के लिए बड़ी कंपनियों को ही सहायता करती है। स्थानीय कारीगरों को व्यवसायियों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार स्वयं छोटे कारीगरों से खरीदे तो कारीगरों को वाजिब मुनाफा मिल सकेगा।
- * आज स्त्रियों के विकास के लिए तरह-तरह की योजनायें आ रही हैं जिनमें आरक्षण मुख्य है। नौकरियों और शासन ईकाइयों में आरक्षण की चर्चा है। लेकिन इन आरक्षणों से हममें से कितनी स्त्रियाँ लाभान्वित होंगी? निश्चित ही बहुत कम। क्योंकि हममें पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या ही बहुत कम है। किन्तु बाजार में स्त्रियों के उत्पादन को आरक्षण मिले तो

प्रत्येक स्त्री तक इसका लाभ पहुँच सकेगा। अतः सम्मेलन बाजार में स्त्रियों के लिए आरक्षण हो इसकी मांग करता है।

- * आज घर-घर में स्त्रियाँ वस्त्रों की सिलाई, कढ़ाई, खाद्य-पदार्थ बनाने, खिलौने बनाने आदि का हुनर रखती हैं। किन्तु वे इसे बनाकर बेच नहीं पा रही हैं। क्योंकि जिन दुकानों पर ये बेचने के लिए रखती हैं उन्हें कमीशन देना पड़ता है जिसमें मुनाफा मिल ही नहीं पाता। अतः स्त्रियों को वर्तमान बाजारों में बेचने की कुछ आधारभूत सुविधायें मिलनी चाहिए जैसे मुख्य बाजारों में निश्चित स्थान उपलब्ध होने चाहिए जहाँ स्त्रियाँ अपना सामान लाकर सम्मानपूर्वक स्वयं ही बेच सकें। इससे यह भी सुविधा रहेगी कि स्त्रियाँ महीने-दो महीने घर बैठकर सामग्री का उत्पादन करें और तब सप्ताह भर इन स्थानों पर से बेच सकें। दूर-दराज की ग्रामीण महिला भी इस सुविधा से लाभ उठा सकेंगी।
- * हम स्त्रियों की ये मांगें हमें दूर की सरकार के पास (लखनऊ या दिल्ली की) नहीं ले जानी चाहिए क्योंकि दूर की सरकार तो हमारी बात सुनेगी नहीं और हम भी बार-बार लखनऊ या दिल्ली नहीं जा सकेंगी। अतः नगर की सरकार से ही हमें अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव लाना चाहिए। नगर की सरकार हमारी क्षमता और गुणों को नजदीक से परख भी सकती है।
- * वर्तमान राजनीति के भ्रष्ट स्वरूप की स्त्रियों ने तीव्र आलोचना की। रथयात्रा सम्मेलन में वाराणसी की महिला विधायिका प्रदर्शनी देखने के उद्देश्य से ही आयी तो थीं किन्तु एक नजर डालकर वे वापस लौट गईं। न तो उन्होंने स्त्रियों की कला को देखा, न किसी उद्योगशील स्त्री से बात कर उसकी समस्या को सुना, न कोई वस्तु ही खरीदी और न सम्मेलन के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। इस पर स्त्रियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि हमें गर्व था कि वाराणसी से एक महिला विधायिका चुनकर आयीं। किन्तु जिस स्त्री को हम अपना प्रतिनिधि मानते थे उसने हमसे बात करना तक उचित न समझा। ऐसा आज की भ्रष्ट राजनीति के कारण ही हो सकता है। अतः आज की राजनीति में हम स्त्रियाँ विश्वास नहीं रखती हैं चाहे जो पार्टी हो हम किसी पर भी विश्वास नहीं रख सकते।
- * प्रदर्शनी स्थल पर आ रहे दर्शकों से बार-बार उनकी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें जागरूक कर यह आग्रह किया गया कि वे सम्मेलन के विचारों को समझने का प्रयास करें तथा हर महीने क्षमतानुसार स्त्रियों द्वारा निर्मित सामग्री को खरीदने का संकल्प लें।
- * सूत कातने वाली एक दर्शक स्त्री ने यह कहा कि मनवा (एक प्रकार की साधारण रूई) से बहुत बढ़िया सूत निकलता है और इससे अच्छा वस्त्र भी बुना जा सकता है। इस मुद्दे पर सम्मेलन में चर्चा हुई और स्त्रियों ने यह कहा कि ऐसे बहुत से कच्चे माल एवं सरल उपकरणों से निर्मित वस्तुओं को आज इसलिए बेकार और निकृष्ट करार दे दिया जा रहा है क्योंकि नये प्रकार के मशीनों के लिए ये उपयुक्त नहीं पड़ रहे हैं। किन्तु इसका अर्थ

यह नहीं है कि उनकी गुणवत्ता में कमी थी। आज हर कार्य और वस्तु का मूल्यांकन मशीनों को केन्द्र में मानकर किया जा रहा है तब नतीजे सही कैसे हो सकते हैं?

- * परम्परागत व्यवसायों में धोबी समुदाय से जुड़ी स्त्रियों ने यह कहा कि नगर में पोखरों और तालाबों को पाटकर नई-नई कालोनियाँ खड़ी की जा रही हैं। प्रदूषण के प्रचार के चलते गंगा के घाट हमसे छीन लिए गये अब हम कहाँ धोयें? पहले हम वस्त्रों की छपाई भी करते थे अब वह काम भी गया। घर-घर में मशीनों के आ जाने से हमारे व्यवसाय को गहरी चोट लगी है। रेह मिट्टी भी अब नहीं मिलती। इस सबके लिए कौन दोषी है? इस संदर्भ में अन्य सभी परम्परागत व्यवसायों में कारीगरों के सामने आ रही समस्याओं की चर्चा हुई।
- * आज हमारे समाज में सिर्फ पढ़े लिखे आदमी को ही इज्जत मिलती है चाहे वो बेइमान ही हो। और अपने हाथों के हुनर के आधार पर परिश्रम से गुजारा करने वाले लोगों को नफरत से देखा जाता है। स्त्रियों को भी इसीलिए इज्जत नहीं मिलती है। इस स्थिति को तभी बदला जा सकता है जब मशीनों पर आधारित उत्पादन के तरीकों को बदला जाय।
- * नारी विद्या संस्थान की ओर से सम्मेलन के अवसर पर “भारती” का नारी-उद्योग विशेषांक निकाला गया। इस पत्रिका में प्रकाशित लेख सभी सम्मेलनों में चर्चा के विषय रहे।
- * नरोत्तमपुर में सम्मेलन के अंत में गांव की लड़कियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। दुर्गाकुण्ड एवं बीवी का रौजा फातमान में भागीदार स्त्रियों ने भजन एवं नाच गाकर अपनी कलाओं को प्रस्तुत किया।
- * स्त्रियों को बचपन से लेकर मृत्यु तक कितनी अन्यायपूर्ण स्थितियों में जीना पड़ता है इस विषय पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई किन्तु यह भी विचार आया कि ये समस्यायें प्राथमिक नहीं हैं और इनका हल भी तभी होगा जब समाज में सभी को उत्पादन के अधिकार पुनः प्राप्त होंगे।

अधिकांश दर्शकों के लिए स्त्रियों का यह प्रयास एक आश्चर्यजनक घटना थी। वर्तमान राजनीति में पूर्ण अविश्वास जाहिर करते हुए तथा प्रशासन से कोई सहयोग लिए बिना आयोजित इस प्रयास को दर्शकों ने एक स्वच्छ एवं साहसिक धारा के रूप में सराहा और स्त्रियों के विकास में इसे महत्वपूर्ण कदम माना। स्त्रियों के विकास पर लिखने और भाषण देने का काम तो बहुत होता रहता है किन्तु ऐसा जीता-जागता प्रयास तो पहली बार देखने को मिला। सम्मेलन में मशीनीकरण के विरोध के स्वर को साहसिक माना। कई दर्शकों ने प्रदर्शनियों में अधिक वस्तुओं को बनाकर रखने के सम्बन्ध में भी सुझाव रखे। स्त्रियों की बनायी सामग्री में अधिक विभिन्नता एवं सफाई की आवश्यकता की ओर भी दर्शकों ने संकेत दिया। इस सम्बन्ध में स्त्रियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है और अभ्यास तभी संभव है जब स्त्रियाँ निरंतर इन्हें बनायें। और यह अवसर तभी मिलेगा जब स्थानीय समाज हमारे द्वारा बनी हुई वस्तुओं को खरीदे।

- * कई दर्शकों द्वारा यह विचार आया कि ऐसे आयोजन बार-बार होने चाहिए। इस पर भागीदार स्त्रियों ने यह कहा कि ये आयोजन हमें इसलिए करने पड़ रहे हैं कि हमें आज बाजार में स्थान नहीं है। ऐसे आयोजन करना हमारे लिए अत्यंत श्रम के कार्य हैं इसलिए बाजार में हमें स्थान मिले और तब ऐसे आयोजनों की हमें आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हमें तो उसी दिन का इंतजार है।
- * कुछ दर्शकों के अनुसार आज अमेरिका के पीछे भागना मूर्खता होगी और मशीनीकरण के बढ़ते जाने से तो हम भूखों मरेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए जिस प्रकार के जन आंदोलनों की जरूरत है उसकी शुरुआत इस सम्मेलन से हो सकती है। डंकल और गैट जैसे कानूनों को चुनौती देने के आंदोलन की भूमि ऐसे ही आयोजन से बनेगी।

(ग) स्त्रियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रकार, गुणवत्ता एवं कला पक्ष

प्रदर्शनी में स्त्रियों ने अनेक प्रकार की वस्तुयें बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के अचार, पापड़, बड़ी, मसाले आदि बनाकर स्त्रियाँ शामिल हुईं। वस्त्रों से बनी सामग्री की प्रदर्शनियों में अधिकता रही। सलवार सूट, पेटीकोट, फ्रॉक, स्वेटर्स, कम्बल, शाल आदि वस्त्रों के अलावा कपड़े से बने सुंदर खिलौनों को प्रदर्शनी में रखा गया। कढ़ाई किये गये टेबल कव्हर, कुशन कव्हर, परदे, आसन, तोरण, वाल हैंगिंग, योक, लेस, बैग्स, पर्स आदि सजावट सामग्री विशेष आकर्षण के केन्द्र रहे। पेन्टिंग एवं प्रिंटिंग के वस्त्र जैसे साड़ियाँ, टेबल कव्हर आदि भी रखे गये। स्त्रियों द्वारा चित्रकारी एवं कोन पेंटिंग की सामग्री के भी अनेक स्टॉल्स लगे। चरखे से कते सूत का भी एक स्टाल लगा। बाँस, सरपत, मिट्टी, पत्थर एवं लकड़ी से बनायी गई कलात्मक वस्तुओं के भी अनेक स्टाल्स लगाये गये (कृपया देखें परिशिष्ट-3)।

स्त्रियों द्वारा निर्मित ये सभी वस्तुयें गुणवत्ता की दृष्टि से बाजार में उपलब्ध वस्तुओं से कम नहीं थीं। इस गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो सकती है अगर स्त्रियों को उत्पादन के अधिकार प्राप्त हों।

कुछ सामग्री जैसे कोन पेन्टिंग्स आदि में कला पक्ष अत्यंत कमजोर रहा। इन सामग्रियों को बनाने में लागत मूल्य तो बहुत लग जाता है और कला का तत्व उस अनुपात में नहीं रहता है। ऐसी सामग्रियों के निर्माण से स्त्रियों को अधिक संख्या में कार्य मिल सकने की संभावनायें नहीं बनती हैं।



5. माँगपत्र

समापन अवसर पर गांधी भवन में आयोजित सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में शामिल सभी भागीदार कारीगर स्त्रियों ने अनेक दीप जलाकर यह संकल्प लिया कि स्त्रियों के पास विद्यमान कौशल एवं विद्या को सम्मान एवं वाजिब दाम मिलने के लिए हम सभी स्त्रियाँ एकजुट होकर कार्य करेंगी। सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए किसी भी राजनीतिक नेता या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बुलाया गया क्योंकि सभी स्त्रियों ने आम सहमति से यह निर्णय लिया कि नगर के सामान्य नागरिकों का समर्थन एवं सहयोग ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः नगर के सामान्य स्त्री पुरुष ही इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।

क्षेत्रीय सम्मेलनों में भागीदार स्त्रियों द्वारा बनाये गये माँगपत्रों के आधार पर एक माँग पत्र बनाया गया। दुर्गाकुण्ड सम्मेलन के माँगपत्र पर 45, बीबी का रोजा फातमान सम्मेलन में 37, रथयात्रा के सम्मेलन में 25, सुंदरपुर बाजार सम्मेलन में 29, महमूरगंज सम्मेलन में 13 स्त्रियों ने मिलकर माँगपत्र को बनाया एवं हस्ताक्षर से अपनी सहमति व्यक्त की। इन माँगपत्रों के आधार पर बनाये गये माँगपत्र को गांधी भवन, मैदागिन के सम्मेलन में खुली बहस के लिए रखा गया और तब इसे अंतिम रूप दिया गया जिस पर 87 स्त्रियों ने हस्ताक्षर किये। यह माँगपत्र वाराणसी के जिलाधिकारी को 8 मार्च 1995 को सौंपा गया जिस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया। माँगपत्र इस प्रकार है —

नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी

वाराणसी

8 मार्च, 1995

माँगपत्र

1. वाराणसी नगर की उद्योगशील महिलाओं को नगर के प्रमुख बाजारों में स्थान उपलब्ध कराया जाय अर्थात् मुख्य बाजारों में दुकानें उपलब्ध करायी जायें।
2. नगर में एक महिला बाजार बनाया जाय।
3. नगर की स्त्रियाँ जिन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं या कर सकती हैं उन वस्तुओं को नगर के बाहर से न मंगाया जाय। विशेष रूप से खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र तथा वस्त्र से बनी वस्तुयें।
4. गृह उद्योग में हो रहे उत्पादनों के लिए आवश्यक कच्चे माल को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाय।
5. गृह उद्योग में निर्मित उत्पादन सामग्री की गुणवत्ता का अधिकार किसी कम्पनी या सरकारी कार्यालय को न देकर स्थानीय ग्राहकों पर छोड़ा जाय।
6. नगर के सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल आदि में आवश्यक वस्त्र (वर्दी) स्टेशनरी एवं खाद्य पदार्थ सामग्री के उत्पादन का अधिकार नगर की स्त्रियों को सौंपा जाय।
7. खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र तथा वस्त्र से बनी वस्तुओं के उत्पादन का क्षेत्र स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाय।



नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी

गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर

दिसम्बर - 1995

लेखिका

सुश्री कंचन बाला

नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी
गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर
5 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 1995

विषय सूची

प्रस्तावना

1. सम्मेलन क्यों?
2. कार्यक्रम
3. कार्य पद्धति
 - स्त्री समूह
 - क्षेत्र
 - संगठन
4. भागीदारी
5. दर्शकों की प्रतिक्रिया
6. निर्णय एवं मांगपत्र
7. नगर अध्यक्षों से प्राप्त आश्वासन
8. निष्कर्ष



प्रस्तावना

कृषि और उद्योगों के आधुनिकीकरण का सबसे प्रतिकूल प्रभाव स्त्रियों पर पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद से देश के उत्पादन क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी निरन्तर घटती चली गयी है। प्रगति और विकास के नारे और स्त्री आंदोलन के दशक में लिए गये विभिन्न स्त्री-रोजगार-विषय कार्यक्रमों बावजूद स्त्रियों की भागीदारी के घटते जाने के क्या कारण हो सकते हैं?

इसी प्रश्न का जवाब खोजने के लिए नारी हस्तकला उद्योग समिति ने सामान्य स्त्री की उत्पादन के क्षेत्र में भागीदारी के प्रश्न पर गंभीरता से रचनात्मक कार्य शुरू किये। उन्हीं कार्यों के दौरान सैद्धान्तिक अवधारणाओं को भी गढ़ा है। नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा समाज में सामान्य स्त्री की भागीदारी को बढ़ाने के ठोस विकल्प सामने आये हैं। इन सम्मेलनों के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आज समाज में सामान्य स्त्री की भागीदारी तभी बढ़ सकती है जब—

1. वस्त्र एवं खाद्यपदार्थ निर्माण के क्षेत्र स्त्रियों के नियंत्रण में हो तथा
2. पारिवारिक उद्योगों के उत्पादन को स्थानीय बाजारों में आरक्षण मिले।

इन्हीं निष्कर्षों पर आधारित प्रयासों की चर्चा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गयी है।

पूर्वांचल के चार जिलों में ये सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजित किये गये हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट में गाजीपुर, जौनपुर, और मिर्जापुर के सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का विवरण है।

अगस्त 1996

—कंचन बाला

वाराणसी



सम्मेलन क्यों?

वाराणसी में किये गये महिलाओं के बीच सर्वेक्षण के आधार पर इस ओर दृष्टि इंगित हुई कि हमारी आम स्त्रियों के पास गुणों के भंडार सुरक्षित हैं। ये महिलायें अपनी सहज सुलभ बुद्धि के उपयोग से नाना प्रकार के उत्पादन क्षेत्रों में दखल बढ़ा सकती हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री देकर अपनी पहचान बनाने की सुदृढ़ क्षमता रखती हैं। लेकिन आज उन्हें सम्मानीय रोजगार से वंचित कर दिया गया है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र उद्योग दस्तकारी से सम्बन्धित कार्य पहले महिलायें घर में ही करती थीं जिन पर उनका अपना अधिकार था। आज यही सामग्रियाँ बड़ी कंपनियाँ बना रही हैं। जबकि इन सब सामग्रियों को बनाने की कला स्त्रियों के पास स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। वर्षों से चली आ रही यह स्वाभाविक परम्परा आज महिलाओं के हाथों से छीन ली गई है। महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार की सम्भावना को एक ठोस आकार देने हेतु ही वाराणसी में गत वर्ष फरवरी-मार्च 1995 में नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था। पूरे बनारस शहर में 7 मुख्य जगहों सुन्दरपुर सट्टी, दुर्गाकुण्ड, फातमान लल्लापुरा, रथयात्रा, महमूरगंज, टाउनहाल में प्रदर्शनियाँ और सम्मेलन आयोजित की गयी थीं। इस आयोजन में घरेलू महिलाओं ने, विद्यालय की छात्राओं ने, गृहविज्ञान की अध्यापिकाओं ने, दस्तकार समुदाय ने, सिलाई स्कूल की छात्राओं, अध्यापिकाओं ने खुलकर हिस्सा लिया और अपने पास सुरक्षित हुनर को प्रदर्शित किया।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के पास विद्यमान गुण-कौशल के आधार पर “स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग” की मांग करना रहा। क्योंकि हम स्त्रियाँ उत्पादन तो कर लेती हैं लेकिन मार्केट में उन वस्तुओं की बिक्री असम्भव प्रतीत होती है। इसलिए प्रत्येक गाँव, कस्बे या नगर में ऐसे, स्थानीय बाजारों की सुविधा होनी चाहिए जहाँ स्त्रियों के सामानों को प्राथमिकता मिले क्योंकि तभी ऐसे बाजारों पर नियंत्रण भी स्थानीय नागरिकों का ही होगा जिसमें स्त्रियाँ मुख्य रूप से शामिल हैं जिन्हें आज आर्थिक रूप से सबल होने की सख्त जरूरत है।

वाराणसी में हुए इन आयोजनों की उपलब्धि को देखते हुए “नारी हस्तकला उद्योग समिति, वाराणसी” ने अपने आस-पास के जिलों से भी सम्पर्क स्थापित करना शुरू किया। क्योंकि सिर्फ बनारस शहर में ही नहीं अपितु हर जगह की महिलाओं के पास ऐसी जटिल समस्यायें हैं। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो या घरेलू व्यवसाय, आज प्रत्येक स्थान पर प्रशासन की ओर से बढ़ावा मिलने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन उद्योगों को कुचलने में प्रयासरत हैं। उद्योगों में आम लोगों की भागीदारी लगभग खत्म ही होती जा रही है। उद्योगों में आम लोगों की भागीदारी बढ़े और विशेष रूप से स्त्रियों की भागीदारी बढ़े, इसके प्रयास के रूप में ही ये सम्मेलन आयोजित किये गये।

कार्यक्रम

5 दिसम्बर 1995 से प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन गाजीपुर से किया गया। 20 दिसम्बर 1995 को इस आयोजन का समापन मिर्जापुर में हुआ। सुसंगठित विभिन्न उद्योगों से जुड़ी महिलाओं की सहमति से ही कार्यक्रम निश्चित किया गया। जो इस प्रकार रहा—

जिला	स्थान	दिनांक
गाजीपुर	टाउनहॉल	5,6 दिसम्बर 1995
जौनपुर	हिन्दी भवन	11,12 दिसम्बर 1995
मिर्जापुर	घण्टाघर का मैदान	19,20 दिसम्बर 1995

तीनों जिलों की छः दिवसीय प्रदर्शनी सुबह 11.00 बजे से आरम्भ होकर शाम के 7.00 बजे तक लगी रहीं। दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक की अवधि महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा के लिए रखी गयी।

कार्य पद्धति

(अ) स्त्री समूह

नारी हस्तकला उद्योग समिति ने पूर्वांचल के तीन जिलों गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर के शहरी क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ करते हुए निम्नलिखित स्त्री समूहों से मिलकर सम्मेलन और प्रदर्शनी की तैयारी शुरू की—

- (1) विभिन्न सिलाई स्कूलों में सिलाई सीखने वाली छात्राएँ एवं उनकी अध्यापिकाएँ।
- (2) नगर के विभिन्न बालिका विद्यालयों, महिला महाविद्यालयों की गृह विज्ञान की अध्यापिकायें एवं छात्राएँ।
- (3) सरकारी रोजगार योजनाओं से लाभान्वित स्त्रियाँ।
- (4) खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगी स्त्रियाँ।
- (5) हस्तकौशल (खाद्य पदार्थों, वस्त्र निर्माण, पेंटिंग, सिलाई की जानकारी रखने वाली महिलायें।
- (6) असंगठित क्षेत्र की कारीगर महिलायें जैसे बिन्दी चिपकाने वाली, पैकिंग करने वाली, बीड़ी बनाने वाली, सब्जी बेचने वाली महिलायें।
- (7) परम्परागत उद्योगों में लगी हुई महिलायें जैसे—कुम्हारों की स्त्रियाँ, बुनकरों की स्त्रियाँ, धोबी की स्त्रियाँ, बढई की स्त्रियाँ, लुहारों की स्त्रियाँ इत्यादि।

इन सभी स्त्री समूहों से मिलकर समारोह की विशेषता, उद्देश्यों से उन्हें अवगत कराकर सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया गया। आज के समाज में स्त्रियों की कितनी गिरी हुई दशा है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें सस्ती मजदूरी पर कार्य करने वाली स्त्रियों से मिला। मिर्जापुर में

कालीन उद्योग में कार्यरत महिलायें ज्वलंत उदाहरण हैं। कारीगर की कारीगरी का पूरा-पूरा लाभ ऊँचे ओहदे वाले उठा रहें हैं। हमारे इस प्रयास में प्रत्येक स्थान के नागरिकों ने भरपूर सहयोग दिया। शुरुआती समय थोड़ी मुश्किल जरूर रही, लेकिन आम लोगों, महिलाओं के सहयोगात्मक रवैये को देखकर हमारा भी उत्साह बढ़ा। ग्रामीण और मुस्लिम महिलायें इस आयोजन में खुले रूप से सामने आयीं। महिलाओं के इस तरह के सहयोग को देखकर और विचार जानकर लगा कि बहुत कुछ करने की क्षमता इनके अन्दर है और अगर मौका मिले तो वे प्रदर्शन भी कर सकती हैं लेकिन समाज में उन्हें अपनी जगह बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। प्रतिभायें हर घर में छिपी हुई बैठी हैं बस उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। सर्वेक्षण के अनुभवों ने ही बतलाया कि प्रत्येक घर में असंख्य गुण-कौशल से लैस नारी है, जो साधारण गृहिणी का रूप धारण कर घर के आँगन में उत्पादन करने में ही अपने आपको अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं।

(आ) क्षेत्र :

गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर के जिन मुहल्लों में हम सभी कार्यकर्ताओं ने कार्य किया वे मुख्यतः इस प्रकार से हैं—

गाजीपुर— फुल्लनपुर, गोराबाजार, पीरनगर, पुलिस लाइन, रेलवे स्टेशन रोड़, लंका, नौकापुरा, मालगोदाम रोड, रौजा, मिश्र बाजार, सकलेनाबाद, आमघाट, महुआबाग, कोयलाघाट, ददरी घाट, नक्खास, सन बाजार, टेढ़ी बाजार, बर्बरहना, मछली बाजार, तेलपुरा, टाउनहाल, लालदरवाजा, झुन्नूलाल का चौराहा, चीतनाथ, रूई मण्डी, कलक्टर घाट।

जौनपुर— लाइन बाजार, नक्खास, उर्दूबाजार, रासमण्डल, सकरमण्डी, मछरहट्टा, परमानतपुर, आलम खॉ मोहल्ला, नवाबयसूफ रोड, मीरमस्त, खेतासराय, सब्जीमण्डी, रूहट्टा, ओलंदगंज, हुसैनाबाद, जगदीशपुर, मधारेटोला, सूतहट्टी, सिपाँह, ढालगर टोला, शाहगंज पड़ाव, मैनीपुरी, रमईपट्टी, चौबेटोला, मछलीशहर, खरका कालोनी, ईशापुर, भदहिया टोला, रसूलाबाद।

मिर्जापुर— वास्लीगंज, गिरधर का चौराहा, भटुआ पोखरी, कचहरी रोड, चेतगंज, डंकीनगंज, पेंहटी का चौराहा, शेरखॉ की गली, कोतवाल की गली, राजा विजयपुर की कोठी, बाजीराव कटरा, गैबीघाट, नारघाट, धुंधीकटरा, गणेशगंज, इमामबाड़ा, तेलियागंज, रमईपट्टी, महुवरिया, पक्कीसराय, बदलीकटरा, रानीबाग, चौबेटोला, गाँधी घाट, लक्ष्मणप्रसाद की गली, दुर्गादेवरी, खमरिया-भदोही, तरकापुर, बल्ली का अड्डा,।

(इ) संगठन

तीनों जिलों के प्रत्येक मुहल्लों और बस्तियों में सम्मेलन के पर्चे बाँटे गये। पर्चों द्वारा समिति के उद्देश्यों से परिचित कराया गया। आयोजन की सफलता के लिए हुनरमन्द स्त्रियों से

उन्हें सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया गया। पर्चों द्वारा प्रचार प्रसार के अलावा छोटी-छोटी प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई जिससे लोगों को पता चल सके कि किसतरह का सामान रखा और बेचा जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत वार्तायें की गई। स्त्रियों के हुनर को सम्माननीय नजरिये से एक रास्ता मिले इस पर चर्चायें की गई। स्कूल कालेज की छात्राओं के साथ बैठकें की गयी।

एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि इस कार्य पद्धति की ये रही कि नगर की महिलाओं के बीच कार्य कर उन्हीं में से कुछ सक्रिय समूहों का चुनाव किया गया जिनमें सिलाई स्कूल और लड़कियों के स्कूल प्रमुख रहे। इन समूहों को एकत्रित कर हर जिले में “**स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग नारी मंच**” का गठन किया गया। इच्छुक महिलायें जो इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहती थीं उन्हें इस मंच से सम्पर्क करने को कहा गया जिससे हम लोगों के उपस्थित न रहने पर यह मंच सक्रिय रूप से कार्यभार सम्हाल सके और वास्तव में इस मंच के गठन से हमारी समिति को बड़ी सुविधा मिली।

महिलाओं के इस मंच में निम्नलिखित संस्थाएँ शामिल रही—

(1) स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग नारी मंच गाजीपुर

- लता महिला सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति स्टेशन. रोड, गाजीपुर
- श्रीमती सहरूत्रिसा/मोहम्मद युसूफ
मो.- ठाकुरवारी, पो. - पीरनगर, गोराबाजार, गाजीपुर
- चन्दा सिलाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र मालगोदाम रोड, स्टेशन, गाजीपुर
- शशि महिला सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र पुलिस लाइन रोड, गोराबाजार, गाजीपुर
- कुशु हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र शास्त्री नगर कालोनी, गाजीपुर

(2) स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग नारी मंच, मिर्जापुर

- उषा सिलाई स्कूल, पक्की सराय, वास्लीगंज, मिर्जापुर
- महिला संसार प्रशिक्षण केन्द्र वघेल की गली, वास्लीगंज, मिर्जापुर
- श्रीमती सुलोचना गुप्ता रमई पट्टी, मिर्जापुर
- बालिका कला निकेतन चौबे टोला, मिर्जापुर

(3) स्थानीय बाजार - स्थानीय उद्योग नारी मंच, जौनपुर

- महिला कल्याण शिल्प कला केन्द्र सकरमण्डी, जौनपुर
- मीना रिजवी शिया गर्ल्स इण्टर कालेज, सूतहट्टी बाजार, जौनपुर
- मारूति सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र लाइन बाजार, कछगाँव, जौनपुर रोड
- गायत्री सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र शेखपुर, जौनपुर

सम्मेलन के पर्चों पर नवगठित इस मंच के सभी संस्थाओं के पते दिये गये। इन सभी संस्थाओं पर ही सामूहिक बैठकें आयोजित करके सम्मेलन की तिथि समय, स्थान का चुनाव किया गया। सभी को हिदायतें दी गयीं कि किसी भी संस्था के तहत् या व्यक्तिगत तौर पर कोई भी इच्छुक महिला इस प्रदर्शनी में शामिल हो सकती है। जो अपने हाथों द्वारा निर्मित वस्तु जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सजावट सामग्री, लकड़ी के खिलौने, पेन्टिंग्स, मिट्टी के खिलौने, कढ़ाई, बुनाई एवं छपाई इत्यादि रखकर उसका प्रदर्शन और बिक्री कर सके। पुरुष, महिला सभी दस्तकारों को आमंत्रित किया गया।

भागीदारी

भागीदार स्टालों की संख्या—

गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर की प्रदर्शनी में भागीदारों की संख्या निम्नलिखित रही—

गाजीपुर	-	26 स्टाल्स
जौनपुर	-	35 स्टाल्स
मिर्जापुर	-	37 स्टाल्स

पूर्वान्चल के इन तीन जिलों में ऐसे सम्मेलन और प्रदर्शन का यह पहला प्रयास था। इस तरह का आयोजन कभी हुआ ही नहीं था इसीलिए महिलायें और अधिक उत्सुकता से इसमें शामिल हुईं। स्टालों पर मुख्य रूप से जिन वस्तुओं को रखने की हिदायतें दी गई थी वही शामिल रहीं जैसे—

खाद्य पदार्थ - अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बे, बिस्कुट्स, नमकीन, चिप्स इत्यादि।

सजावट सामग्री - खिलौने, झूमर, तोरण, वाल हैगिंग, इत्यादि।

वस्त्र - सिलाई, बुनाई, कढ़ाई एवं छपाई से सम्बन्धित पहनने, ओढ़ने एवं बिछाने की सामग्रियाँ।

घरेलू महिलायें, ग्रामीण महिलायें, मुस्लिम महिलायें, छात्रायें, दस्तकार, लघु एवं कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए लोग भागीदार रहे। हर एक स्टालों की बिक्री संतोषजनक रही। प्रत्येक स्टालों पर एक से ज्यादा की संख्या में स्त्रियों की भागीदारी रही। कुछ पर तो 15-20 तक की संख्या रही। अपनी बिक्री से संतुष्ट महिलाओं ने तो सोचा ही नहीं था कि हमारी हाथ की बनी हुई चीजों से हम अपना उद्योग और अपना बाजार खड़ा कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी और सम्मेलन से महिलाओं के आत्मविश्वास को बल मिला।

सम्मेलन में कॉलेज की छात्राओं की सोच आज यही बन रही है कि स्त्री समूह के विकास का रास्ता स्वरोजगार में ही झलक रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता व्यवसायीकरण आम लोगों को शिक्षा से दूर ले जा रहा है। छात्र-छात्राओं की डिग्रियाँ दिखाने मात्र की हो गयी हैं। बढ़ती बेरोजगारी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस तरह की चर्चाओं में जौनपुर टी0डी0 कालेज की छात्राओं, गाजीपुर महिला डिग्री काजेल की छात्राओं ने, मिर्जापुर आर्य महिला इण्टर कालेज की

छात्राओं ने खुलकर के हिस्सा लिया।

महिलाओं से सम्बन्धित अन्य मुद्दे भी आये जैसे सस्ती मजदूरी पर कार्य करने को बाध्य महिलाओं ने अपनी मजबूरी पर असंतोष प्रकट किया। ये सभी असंगठित क्षेत्र की कारीगर महिलाओं (मोती माला बनाने वाली, वस्त्र सिलने वाली, बीड़ी बनाने वाली, कालीन उद्योगों में कार्य करने वाली) की समस्या रही।

छोटे मोटे लघु व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या दुर्लभ होता कच्चा माल और उनके द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री के लिए बाजार का अभाव है।

मुख्यतः यह बात वाराणसी के सम्मेलन और अन्य तीनों जिलों के सम्मेलन में उभर कर आयी कि हम महिलायें जिन वस्तुओं को उत्पादित करती हैं वह बाजार में खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए कि हमारे किसी भी माल पर सरकारी मुहर नहीं होती है। लाइसेंस नहीं है। जबकि बड़ी कम्पनियों के वही माल धड़ाधड़ बिक रहे हैं। इन कम्पनियों के माल पर ही रोक लगायी जानी चाहिए तभी हमारे सामान की खपत हो सकती है।

परम्परागत उद्योगों में लगी महिलाओं ने भी इसी बात पर विशेष बल दिया कि बाहरी कम्पनियों और बाहरी माल के आने से ही उनके रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आम आदमी अगर किसी तरह गृह उद्योगों, लघु व्यवसायों को अपनाता भी है तो प्रशासनिक अधिकारी तुरन्त उन्हें रोक देते हैं। बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने का सामान्य व्यक्ति को मौका ही नहीं दिया जाता है।

दर्शकों की प्रतिक्रियायें

देखने वाले दर्शकों ने ऐसे प्रयास को प्रशंसनीय और सराहनीय प्रयास माना कि यह जनचेतना वर्द्धन में सहायक है। इस प्रयास को जारी रखने के लिए भी जोर दिया। जैसा कि पहले बताया गया कि तीनों जगह की प्रदर्शनियाँ, सम्मेलन अपने-अपने जिलों में पहला प्रयास रहीं, जो हर वर्ग के लोगों के लिए सशक्त खुला मंच रहकर सभी के अभिव्यक्ति का माध्यम बनीं। आज के भौतिक सुख सुविधाओं से लैस समाज में ऐसे वक्त पर इस तरह का प्रयास एक आंदोलन खड़ा कर सकने में सहायक सिद्ध होगा और सफल भी होगा। महिलाओं के पास उपलब्ध उनके ज्ञान, कौशल, गुणों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का यही एक सुलभ माध्यम है। यह सभी तो स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के बल पर अपनी आर्थिक समस्या को वे दूर कर सकती हैं। स्त्रियों के उत्थान और प्रेरणा के लिए इस तरह का प्रयास होना निहायत ही जरूरी है। यह तो एक सामाजिक कर्तव्य है और हम नागरिकों का इनके उत्साह को बढ़ावा देना अपना कर्तव्य बनता है।

दर्शकों ने कहा कि इन प्रदर्शनियों के जरिये ही इस बात का अहसास हो रहा है कि हस्तकला लुप्त नहीं हुई है, अभी जीवित हैं। सिर्फ कोशिश करनी है उसे निखारने और बाहर लाने की। क्योंकि दबे दबे उनके खत्म होने का भय है। आज महिलायें सस्ती मजदूरी पर कार्य कर रही हैं। अगर एक सुलभ बाजार की व्यवस्था हो जाये तो मजदूरी से ये छुटकारा पा सकती हैं।

दर्शकों ने ऐसे आयोजन की निरन्तरता बनाये रखने का सुझाव दिया। हर माह ऐसी प्रदर्शनी की मांग की और अवधि भी बढ़ाने पर जोर दिया।

दर्शकों ने यह भी व्यक्त किया कि बड़ी औद्योगिक कंपनियों के सामानों के साथ ही साथ अपने सामानों की बिक्री महिलायें स्वयं बढ़ायें। अपने सामानों की गुणवत्ता को जांचने का अधिकार नागरिकों पर ही छोड़ें। अगर सामग्री गुणवत्ता की कसौटी पर खरी उतरती है तो नागरिकों का ध्यान अपने आप ही हमारे सामानों की तरफ आकृष्ट होगा और बड़ी कंपनियों से उत्पादित सामग्री स्वतः ही पतन की ओर उन्मुख होगी।

वर्तमान बाजार व्यवस्था में दखल बढ़ाने के लिए ऐसी प्रदर्शनियों के जरिये हुनर मन्द स्त्रियों का संगठन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सम्मेलन और प्रदर्शनियों के माध्यम से ही अपने सम्मान जनक रोजगार के अधिकार की आवाज उठायी जा सकती है।

निर्णय एवं मांगपत्र

जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर की महिलाओं ने प्रदर्शनी और सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए कुछ ठोस निर्णय लिए। प्रदर्शनी का दूसरा दिन अपराहन में बैठक का दिन था। महिलाओं द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर यह बात सामने आयी कि घर में साधारण स्त्री के रूप में रहने वाली ये महिलायें विलक्षण बुद्धि की भी स्वामिनी हैं। जिसका उपयोग कर समाज में व्याप्त उत्पादन के क्षेत्र में वो असीम शक्ति के साथ दखल ले सकती हैं। प्रदर्शनी में एकत्रित महिलाओं के इस बड़े समूह ने अपने अपने जिलों में एक-एक समिति गठित कीं, जिसके द्वारा इस आयोजन में उठी मांगों पर गतिविधियां सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहें। नारी हस्तकला उद्योग समिति वाराणसी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि रही कि प्रत्येक स्थान की महिलाओं ने समिति गठित कर स्थानीय बाजार स्थानीय उद्योग का आह्वान पूरे जोर शोर के साथ किया।

समितियों के नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं—

1. गाजीपुर की महिलाओं ने अपनी समिति का नाम सर्वसम्मति से “नारी हस्तकला एवं कुटीर उद्योग समिति, गाजीपुर” रखा। हर महीने के पहले रविवार को बैठक का दिन निश्चित हुआ। प्रदर्शनी लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया। जो टाउनहाल में लगायी जायेगी। नवगठित यह समिति प्रशासन से टाउनहाल की सुविधा निः शुल्क उपलब्ध कराने की मांग करेगी। बैठक का समय दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे की बीच रखा गया।

2. जौनपुर जिले की महिलाओं ने अपनी समिति का नाम “महिला गृह उद्योग समिति, जौनपुर” रखा। इस समिति की संरक्षिका नगर अध्यक्षा श्रीमती संध्या श्रीवास्तव जी होंगी। प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार एवं रविवार को प्रदर्शनी लगायी जायेगी। प्रदर्शनी का दूसरा दिन बैठक का दिन भी होगा, यह निश्चित हुआ। नगरपालिका का बरामदा प्रदर्शनी के लिए चुना गया।

3. मिर्जापुर की प्रदर्शनी और सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं ने अपनी समिति को

‘महिला गृह उद्योग समिति, मिर्जापुर’ नाम दिया। समिति की ओर से लगायी जाने वाली प्रदर्शनी के लिए घण्टाघर का मैदान ही उपयुक्त समझ कर चुना गया। हर महीने के दूसरे रविवार को यहाँ प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी और बैठक भी इसी दिन रखी जायेगी ऐसा तय हुआ।

पूर्वांचल के इन तीनों जिलों की नवगठित समितियों ने यह निर्णय लिया कि समिति में प्रत्येक वह महिला सम्मिलित हो सकती हैं जो हस्तकौशल व कला से सम्बन्धित कार्यों में रुचि रखती हो। समिति की ओर से किये जाने वाले कार्यों व विचारों से भी जो महिला सहमत हो उसे जोड़ा जायेगा।

समिति आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं पर विशेष ध्यान देगी और उन्हें कम से कम लागत लगाकर कार्य करने को प्रोत्साहित करेगी।

जौनपुर की समिति ने समिति के सदस्यता शुल्क का प्रस्ताव रखा लेकिन फिलहाल इस विचार को तुरन्त छोड़ दिया क्योंकि इससे गरीब तबके की महिलाओं और अध्ययनरत छात्राओं को परेशानी हो सकती है। सदस्यता शुल्क अगर कभी लिया जायेगा तो जो महिलायें शुल्कराशि देने में असमर्थ हैं उन्हें सहूलियत बरती जायेगी।

आपसी सहयोग की भावना समिति के प्रत्येक सदस्यों में होनी चाहिये क्योंकि एक दूसरे का सहयोग ही हमारे अपने कार्य को सफल बना सकता है। समिति शोषित वर्गों और जरूरतमंदों की ओर विशेष ध्यान देने का कार्य करेंगी।

स्थानीय बाजार-स्थानीय उद्योग के लिए प्रयासरत नवगठित यह समिति अपना सुझाव प्रशासन को समय-समय पर देती रहेगी कि महिला बाजार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और क्या क्या सुविधायें मिलनी चाहिए।

इन महिला समितियों ने प्रशासन से अपनी सुविधाओं के लिए मांगपत्र तैयार किया। इसे समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रशासनिक उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न निरन्तर करते रहेंगे। मांगे इस प्रकार से रहीं —

1. शहर के मुख्य बाजारों में महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानें उपलब्ध हों। इन दुकानों पर महिलायें अपने सामनों की बिक्री स्वयं ही व्यवस्थित करेंगी।

2. जब तक उपरोक्त मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक के लिए नगर की समितियों द्वारा चयनित स्थान और सुनिश्चित तिथि को हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाने के लिए निः शुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। नगर पालिका की ओर से ये आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

3. नगर के विद्यालयों के बच्चों की वर्दियाँ एवं बस्ते, खिलौने आदि नगर की स्त्रियों से ही बनवाने के नियम बनाकर लागू किये जायें।

4. महिलाओं को अपने उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल सस्ती दरों पर उपलब्ध

कराने की व्यवस्था की जाये।

5. उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता को जांचने का अधिकार सामान्य और स्थानीय नागरिकों पर छोड़ा जाय।

नगर अध्यक्षों से प्राप्त आश्वासन

गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्षों ने हमारे आयोजन के निमंत्रण को स्वीकार किया। सम्मेलन में उठी मांगों पर भी अपनी सहमति व्यक्त की। प्रदर्शनी में महिलाओं की भागीदारी और स्टालों पर रखी सामग्रियों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमारे शहर की महिलाओं के पास इतना हुनर है आज इस बात का आभास हो रहा है।

गाजीपुर के नगर अध्यक्ष श्री रोहिणी कुमार जी ने मिश्र बाजार और टैक्सी स्टैण्ड, गाजीपुर में दुकानें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

जौनपुर की नगर अध्यक्षा श्रीमती संध्या श्रीवास्तव जी ने हमारी प्रदर्शनी को देखा और सराहा। सम्मेलन की बैठको में शामिल होकर हमारे प्रस्तावों पर विचार किया। इन्होंने फिलहाल नगर पालिका का मैदान हर महीने की प्रदर्शनी लगाने को उपलब्ध कराया। टेबल कुर्सी की व्यवस्था भी करेंगी। मुख्य बाजार में दुकानों की व्यवस्था पर ध्यान देंगी और उसे उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न करेंगी।

मिर्जापुर के नगर अध्यक्ष श्री अरुण दूबे जी ने घण्टाघर के मैदान में हर महीने की प्रदर्शनी लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। घण्टाघर का मैदान प्रदर्शनी और बिक्री की सुविधा की दृष्टि से बेहतर है। नगर अध्यक्ष नगर में उपस्थित न होने की वजह से हमारी प्रदर्शनी में सम्मिलित तो नहीं हो पाये लेकिन दुकानों और स्थानों के लिए आश्वासन दिया है।

निष्कर्ष

गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर की प्रदर्शनी में स्त्रियों, नागरिकों और लोकप्रतिनिधियों का सहयोगात्मक रुख देखते हुए यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे स्थानीय बाजार की मांग को एक जायज मांग मानते हैं। वर्तमान समाज की विकृत व जटिल बाजार व्यवस्था को देखते हुए आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से भी यह मांग एक नैतिक मांग है। इसे तभी एक सफल रूप दिया जा



6. स्त्री कार्यकर्ता सम्मेलन

26 मार्च 1995

अहिल्याबाई घाट, वाराणसी

सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों की इस शृंखला के समापन पर सम्मेलन में भागीदार स्त्रियों में से 17 स्त्री-संस्थाओं एवं व्यक्तिगत स्त्रियों ने इस बात पर अपनी स्पष्ट सहमति दी कि जब तक प्रशासन स्त्रियों की मांगों पर कोई कारगर कदम नहीं उठाता है उस अवधि तक अपने-अपने क्षेत्रों की स्त्रियों के सहयोग से ऐसी ही प्रदर्शनियों का आयोजन कर सम्मेलन के विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास करने में वे सक्रिय भूमिका निभायेंगी।

इसी संदर्भ में 26 मार्च 1995 को चारों जिलों के सम्मेलन में भागीदार महिलाओं में से स्त्रियों के हित में कार्य करने के लिए उत्सुक स्त्रियों का एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

इस प्रकार 26 मार्च 1995 को दोपहर 1.00 बजे नगर के अहिल्याबाई घाट पर 'स्त्री-कार्यकर्ता सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमें नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में भागीदार सभी सक्रिय स्त्रियों को आमंत्रित किया गया। जिलाधिकारी जी को 8 मार्च 1995 को दिये गये मांगपत्र पर विस्तार से चर्चा के लिए इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था।

इस सम्मेलन में लगभग 60-70 स्त्रियों ने हिस्सा लिया तथा जिलाधिकारी के समक्ष मांगपत्र में रखी गई मांगों के सभी पक्ष रखे। जिलाधिकारी जी ने इस सम्बन्ध में सम्मेलन में भागीदार स्त्रियों से निरंतर संवाद की आवश्यकता को महसूस करते हुये मांगपत्र की कुछ मांगों पर तुरंत कदम उठाये जा सकने की संभावनाओं को प्रकट किया।



परिशिष्ट- 1

प्रदर्शनी में शामिल स्त्री संस्थाओं और स्त्रियों की सूची

(क) दुर्गाकुण्ड प्रदर्शनी (6,7,8 रवरी 1995)

स्टाल पर खड़ी मुख्य स्त्री का नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1. श्रीमती प्रयाग रानी मिश्रा	सलोनी अचार पापड़, मुरब्बे	108 ए साकेत नगर कालोनी संकट मोचन	खाद्य पदार्थ
2. श्रीमती मीरा राजानी	-	82, साकेत नगर कालोनी	वस्त्र
3. विनीता केशरी	आर्ट गेलरी	बी 5/82 ए सोनारपुरा अवधगर्बी	वस्त्र एवं मिट्टी के आभूषण
4. मुंजुला सिंह		एच/26 कबीर नगर कालोनी, बी. एच. यू.	खाद्य पदार्थ
5. सुमन कुमारी राधिका कश्यप इन्दु कुमारी		बी 32/95 नरियां	लकड़ी के खिलौने एवं क्रोशिया के वस्त्र
6. सुनीता सिंह		बीं 2/48 भैदनी	वस्त्र
7. गीता कुमारी मौर्या	गीता कला केन्द्र खोजवां	बी 23/33 खोजवां	वस्त्र बिन्दी
8. गीता	सर्वोदय सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	बी 23/18इ खोजवां	वस्त्र
9. श्रीमती माधुरी देवी	सौरभ वाल हैंगिंग	एन 2/86 सुंदरपुर	जूट की सजावट सामग्री
11. श्रीमती प्रमिला दूबे	काशिका महिला बहुउद्देश्यीय	203 हैदरबाद गेट, बीएचयू	लकड़ी के खिलौने एवं

	सहकारी समिति		वस्त्र
12. अलका पाण्डेय	-	ग्राम भगवानपुर	पेंटिंग्स व वस्त्र, खिलौने
13. श्रीमती अंजू मिश्रा	-	डालमिया कोठी नगवां	सजावटी सामग्री
14. श्रीमती कुसुम देवी श्रीमती गीता देवी श्रीमती सुरस्वती देवी श्रीमती मालती	-	ग्राम-टिकरी	खाद्य सामग्री
15. श्रीमती बदामी देवी	-	दुर्गाकुण्ड	खाद्य सामग्री
16. श्रीमती गिरिजा त्रिपाठी श्रीमती विमला त्रिपाठी	-	बी 2/50, भदौनी	वस्त्र के खिलौने
17. श्रीमती शकुन्तला शर्मा श्रीमती उर्मिला सिंह श्रीमती माया गुप्ता श्रीमती शीला सहाय	नारी हस्तकला उद्योग समिति	श्रीकृष्ण भवन 25, माधव मार्केट लंका	वस्त्र तथा वस्त्र के खिलौने एवं सजावट सामग्री सूत कताई, खाद्य पदार्थ
18. सुश्री इशरत जहां	-	टी 66, एफएनई रेलवे कॉलोनी	वस्त्र
19. श्रीमती भारती पटेल	-	26/1, एन, नगवां	खाद्य पदार्थ
20. श्रीमती साधना गिरी	-	बी/204, भदौनी	वस्त्र
21. सुश्री उर्मिला चौधरी	-	सी-20/2, नई पोखरी, पिशाचमोचन	वस्त्र
22. श्रीमती सरस्वती पाण्डेय	-	बी 22/30 खोजवां बाजर	वस्त्र की सजावट सामग्री
23. सुश्री विमला वर्मा	-	खोजवां	कार्डबोर्ड एवं

			थर्मोकोल के भवन
24. श्रीमती राधिका देवी	-	नगवां	मोती का माला
श्रीमती पद्मा देवी			एवं वस्त्र
25. श्रीमती सुमन मिश्रा	-	साकेत नगर	हर्बल क्लीनो
		कालोनी	मच्छर भगाने की दवा
26. श्रीमती इन्दु उपाध्याय	वेराइटी पेंटिंग्स	नगवां	पेंटिंग्स सजावट सामग्री



(ख) बीवी का रौज़ा, फातमान प्रदर्शनी (10, 11 फरवरी)

कक्ष सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	श्रीमती नुजहत फरमान	कस्तूरबा महिला पॉलिटिकल संस्थान	सी 3/39 काली महाल	वस्त्र एवं खाद्य सामग्री
2.	अनामिका जलन	राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज मलदहिया	-	पेंटिंग्स एवं वस्त्र
3.	श्रीमती उर्मिला कुमारी चौधरी	-	नई पोखरी पिशाचमोचन	वस्त्र
4.	श्रीमती अर्चना मिश्रा	महिला स्वावलंबन केन्द्र	सी 14/160, बी-2, सोनिया	पेंटिंग्स एवं वस्त्र
5.	श्रीमती किलमिश बानो	-	लल्लापुरा	मोतीमाला
6.	सुश्री जीनत अंजुम	-	सी 16/19 औरंगाबाद	आभूषण
7.	श्रीमती कुदसिया बेगम	न्यू आइडियल कान्वेन्ट	कोयला बाजार	वस्त्र पेंटिंग्स
8.	श्रीमती रूखसाना बेगम श्रीमती शरवरी बेगम	-	सी 15/13 लल्लापुरा	वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ सजावट

मंजू कुमारी सरोज			सामग्री
9. श्रीमती माधुरी देवी	सौरभ बाल हैंगिंग	सुन्दरपुर	जूट की सजावट सामग्री
10. श्रीमती प्रयागरानी मिश्रा	सलोनी पापड़, अचार, मुरब्बे	साकेत नगर कालोनी	खाद्य पदार्थ
11. श्रीमती शकुन्तला शर्मा श्रीमती उर्मिला सिंह श्रीमती शीला सहाय श्रीमती माया गुप्ता	नारी हस्तकला उद्योग समिति	श्रीकृष्ण भवन 25, माधव मार्केट लंका	वस्त्र, खिलौने, सूत, खाद्य सामग्री
12. श्रीमती मुन्नी श्रीमती शबाना	-	लल्लापुरा जियापुरा	जरदोजी के वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ
13. श्रीमती राधिका देवी श्रीमती देवी	-	नगवां	मोतीमाला



(ग) सूर्या महिला प्रशिक्षण केन्द्र, रथयात्रा प्रदर्शनी (17 , 18 , 19 फरवरी)

कक्ष सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	श्रीमती दुर्गा	दुर्गा सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	छोटी गैबी	वस्त्र, पेंटिंग्स खाद्य पदार्थ सजावट सामग्री
2.	श्रीमती अर्चना मिश्रा	महिला स्वावलंबन केन्द्र	सोनिया	वस्त्र एवं आभूषण
3.	श्रीमती मीरा अग्रवाल	-	दुर्गाकुण्ड	वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ
4.	सुश्री सुलताना राधिका देवी आशा देवी दुर्गा देवी	- - -	रामापुरा नगवां	आभूषण आभूषण

5. श्रीमती शम्सुन्निसा	-	ककरमत्ता	कागज के खिलौने
6. सुश्री जीनत अंजुम सुश्री रेशम खानम	-	औरंगाबाद	आभूषण एवं वस्त्र
7. श्रीमती मधुचन्दामि	मधु सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र छित्तपुर	छित्तपुर, सिगरा	पेंटिंग्स
8. सुश्री गरिमा गुप्ता	-	साकेत नर्सिंग होम गुरुबाग	खिलौने सजावट सजावट सामग्री वस्त्र
9. श्रीमती अनुपम	गृह विज्ञान विभाग बसंत कन्या महाविद्यालय	कमच्छा	वस्त्र एवं सजावट सामग्री
10. श्रीमती शबाना खानम सुश्री जीनत अंजुम	-	औरंगाबाद सराय उत्तर फाटक लहंगपुरा	आभूषण
11. सुश्री सुमन श्रीवास्तव	आदर्श महिला शिल्पकला केन्द्र	कैंसर वार्ड के पीछे, छित्तपुर	पेंटिंग्स चित्र
12. श्रीमती नुजहत फरमान	कस्तूरबा महिला पालिटेकनिक सहभागिता संस्थान	लल्लापुरा	वस्त्र
13. श्रीमती कौशल्या देवी	नीलम सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	चन्द्रिका नगर कालोनी, सिगरा	वस्त्र, आभूषण क्रोशिया का काम
14. श्रीमती माया सिंह	परिधान बुटिका	जगतगंज	खाद्य सामग्री
15. उर्मिला चौधरी	-	पिशाचमोचन	वस्त्र
16. श्रीमती ललिता देवी	महेशपिंट	बी 37/122, महमूरगंज	वस्त्र पर पेंटिंग्स एवं प्रिंटिंग

17. श्रीमती सुमन यादव	गीता कला केन्द्र	कोतवालपुरा	पेंटिंग्स
18. श्रीमती निकहत परवीन	-	रेलवे कॉलोनी	खाद्य सामग्री
19. श्रीमती कुदसिया बेगम	न्यू आइडियल कान्वेन्ट	कोयला बाजार	वस्त्र एवं पत्थर की वस्तुएं
20. श्रीमती रागिनी गुप्ता	-	सी 13/32 औरंगाबाद	पेंटिंग्स
21. रेखा जायसवाल	-	सी 6/2, चेतगंज	पेंटिंग्स
22. श्रीमती शकुन्तला शर्मा श्रीमती उर्मिला सिंह श्रीमती शीला सहाय श्रीमती माया गुप्ता	नारी हस्तकला उद्योग समिति	श्रीकृष्ण भवन 25, माधव मार्केट, लंका	वस्त्र सजावट सामग्री खिलौने, सूत, खाद्य सामग्री
23. सुश्री श्याम देई	-	सी 33/136 ए छित्तपुर	खाद्य सामग्री
24. सुश्री मीना शाही	सूर्या महिला प्रशिक्षण केन्द्र	रथयात्रा	वस्त्र
25. श्रीमती प्रयागरानी मिश्रा	सनोनी पापड़, अचार, मुरब्बे	साकेत कालोनी	खाद्य पदार्थ
26. श्रीमती माधुरी देवी	सौरभ वाल हैगिंग	सुन्दरपुर	जूट की सजावट सामग्री



(घ) सुन्दरपुर बाजार प्रदर्शनी (21, 22, 23 फरवरी)

कक्ष सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	श्रीमती रमदेई	-	एन 8/248 नेवादा	बांस से बने लैम्प, टोकरी एवं अन्य सामग्री
2.	श्रीमती लक्ष्मी	लक्ष्मी सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	एन 2/16 सुन्दरपुर	वस्त्र

3. श्रीमती कामिनी कुशवाहा	महिला शिल्प कला केन्द्र	जयप्रकाश नगर ककरमत्ता	वस्त्र
4. श्रीमती भागमनी सुश्री पूनम पाल कंचन बाला जानकी देवी	-	एन 2/3-4 सुन्दरपुर	खाद्य सामग्री एवं वस्त्र
5. श्रीमती सावित्री देवी	गांधी मेमोरियल स्कूल	सुन्दरपुर	खाद्य पदार्थ, सजावट सामग्री वस्त्र
6. श्रीरामचन्द्र प्रसाद गुप्ता	-	दशमी सरायनंदन	पत्थर की कलाकृतियां
7. श्री शिवराजू	-	आदित्य नगर	कांच के आभूषण
8. श्रीमती माधुरी देवी	सौरभ बाल हैगिंग	सुन्दरपुर	जूट की सजावट सामग्री
9. श्री दिलीप	-	सुन्दरपुर	मिट्टी की कलाकृतियां
10. श्रीमती इरा घोष	अट्रेक्टिव शूट हाउस	लंका	वस्त्र
11. सुश्री गीता कुमारी	गीता-सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	खोजवां	वस्त्र
12. श्रीमती प्रमिला दुबे	काशिका महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति	बी.एच.यू. परिसर	खिलौने एवं वस्त्र
13. श्रीमती प्रयागरानी मिश्रा	सलोनी पापड़, अचार, मुरब्बे	साकेत कालोनी	खाद्य सामग्री
14. श्रीमती भारती देवी	-	नगवां	खाद्य सामग्री
15. श्रीमती उर्मिला देवी नीरजा	-	आदित्यनगर	खाद्य सामग्री एवं मोतीमाला

श्रीमती शान्ति देवी			
16. श्रीमती धनेसरा	-	आदित्यनगर	घरेलू औषधि
श्रीमती फूलपती देवी			एवं मोतीमाला
श्रीमती कान्ती देवी			
श्रीमती शान्ती देवी			
17. श्रीमती शकुन्तला शर्मा	नारी हस्तकला	श्रीकृष्ण भवन	खिलौने
श्रीमती उर्मिला सिंह	उद्योग समिति	25, माधव मार्केट लंका	सजावट सामग्री वस्त्र, सूत, खाद्य पदार्थ



(च) महमूरगंज प्रदर्शनी (25 , 26 फरवरी)

कक्ष सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	श्रीमती उर्मिला उपाध्याय	श्री काशी महिला प्रशिक्षण केन्द्र	तुलसीपुर	वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ
2.	श्रीमती शकुन्तला शर्मा	नारी हस्तकला उद्योग समिति	श्रीकृष्ण भवन 25, माधव मार्केट लंका	खिलौने सजावट सामग्री वस्त्र, सूत एवं खाद्य पदार्थ
3.	श्रीमती रमदेई	-	नेवादा	बांस का सामान
4.	श्री दिलीप	-	सुन्दरपुर	मिट्टी की कलाकृतियां
5.	श्री रामचन्द्र गुप्ता	-	दशमी	पत्थर की कलाकृतियां
6.	श्रीमती इरा घोष	अट्रेक्टिव सूट हाऊस	लंका	वस्त्र
7.	श्रीमती माधुरी देवी	सौरभ वाल हैंगिंग	सुन्दरपुर	जूट की सजावट सामग्री
8.	श्री शिव राजु	-	सुन्दरपुर	कांच के आभूषण

9. श्रीमती प्रयागरानी	सलोनी पापड़	साकेत नगर कालोनी	खाद्य सामग्री
10. श्रीमती प्रमिला दुबे	काशिका महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति	बी.एच.यू.	वस्त्र, खिलौने
11. श्रीमती मंजू देवी	-	रानीपुर	वस्त्र
12. श्रीमती मुन्नी देवी श्रीमती उर्मिला देवी सुश्री कंचन बाला श्रीमती चमेली देवी	-	आदित्यनगर	खाद्य सामग्री
13. सुश्री जीनत अंजुम शबाना खानम	-	औरंगाबाद	आभूषण
14. श्रीमती राधिका देवी	-	नगवां	मोतीमाला
15. श्रीमती निर्मला देवी श्रीमती शकुन्तला देवी	नीलम सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	सिगरा	वस्त्र, पेंटिंग्स, सजावट सामग्री आभूषण, खाद्य सामग्री



(छ) गांधी भवन, टाऊन हॉल, मैदागिन प्रदर्शनी (6, 7, 8 मार्च)

कक्ष सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	श्रीमती माधुरी जायसवाल श्रीमती प्रभा फड़के	हरिश्चन्द्र महिला इण्टर कॉलेज	मैदागिन	खिलौने, सजावट सामग्री एवं वस्त्र
2.	श्रीमती उर्मिला	कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का सराय मुहाना गांव का सिलाई स्कूल	गांव - सराय मुहाना	वस्त्र सजावट सामग्री

3. अध्यापिकायें	महिला शिल्पकला केन्द्र	चेतगंज	वस्त्र
4. श्रीमती ज्ञानवती श्रीमती सुमन	रत्नेश्वरी नारी शिल्पकला केन्द्र	मच्छोदरी	वस्त्र, खिलौने, मिट्टी एवं वस्त्र की सजावट सामग्री पेंटिंग्स, खाद्य सामग्री
5. श्रीमती गीता	गीता आर्ट सेंटर	मुक्तीमगंज	पेंटिंग्स, खिलौने, सजावट सामग्री
6. अध्यापिकायें	राजकीय निराश्रित महिला प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशला	जैतपुरा	वस्त्र, सजावट सामग्री
7. श्रीमती सुबुहीबानो	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	हरतीरथ	वस्त्र एवं सजावट सामग्री
8. सुश्री ऊषा	ऊषा कला केन्द्र	गोदौलिया	वस्त्र, खिलौने सजावट सामग्री
9. श्री आलम जियाउल हक अन्सारी	सिल्क विवर्स कालोनी कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	नाटी इमली	वस्त्र, रेशमी साड़ी एवं जूट से बनी सजावट सामग्री
10. शशि मिश्रा	मेरी गोल्ड स्कूल	कोनियां	वस्त्र
11. श्रीमती इरा घोष	अट्रेक्टिव सूट हाऊस	लंका	वस्त्र
12. सीमा अनुपाणि	नागरमल मुरारिका शिशु सदन	चेतगंज	वस्त्र
13. श्रीमती माधुरी देवी	सौरभ वाल हैंगिंग	सुन्दरपुर	जूट से बनी सजावट सामग्री
14. श्रीमती	बाल भारती स्कूल	नरहरपुरा	वस्त्र, खिलौने

			सजावट सामग्री
15. श्रीमती प्रयागरानी	सलोनी पापड़, अचार	साकेत नगर कालोनी	खाद्य सामग्री
16. श्रीमती शकुन्तला शर्मा श्रीमती उर्मिला सिंह	नारी हस्तकला उद्योग समिति	श्रीकृष्ण भवन 25, माधव मार्केट लंका	खिलौने, वस्त्र सजावट सामग्री खाद्य पदार्थ
17. श्रीमती संतोष	मनभावन बुटिक	बुलानाला	सजावट सामग्री
18. श्रीमती निर्मला देवी श्रीमती शकुन्तला देवी	नीलम सिलाई केन्द्र	सिगरा	वस्त्र, सजावट सामग्री पेंटिंग्स
19. श्रीमती प्रमिला दुबे	काशिका महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति	बी.एच.यू. परिसर	खिलौने, वस्त्र
20. श्रीमती सुषमा गुप्ता	चित्रशाला	डी 55/12, औरंगाबाद	चित्र एवं हस्तशिल्प
21. श्रीमती पार्वती देवी	-	मुकीमगंज	
22. शान्ति देवी	-	चँवर गली	
23. श्रीमती राजरानी खत्री	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	रामकटोरा	वस्त्र एवं सजावट सामग्री
24. श्रीमती अंजना देवी	-	ईश्वरगंगी	
25. श्रीमती वंदना रघुवंशी	-	जगतगंज	
26. श्रीमती सौरभ कक्कड़	-	मच्छोदरी	
27. श्रीमती माया	-	रानी कोठी प्रह्लादघाट	वस्त्र एवं सजावट सामग्री
28. श्रीमती रूपानी गुप्ता	-	विशेश्वरगंज	
29. श्रीमती मुन्नी देवी	-	दशाश्वमेध	
30. श्रीमती राधिका देवी श्रीमती शोभा देवी सुश्री सुलताना	- - -	नगवां रामापुरा	मोतीमाला एवं वस्त्र

31. श्रीमती चमेली देवी	-	जलालीपुरा	बांस से बनी वस्तुएं
32. श्रीमती धन्नर देवी	-	आदमपुरा	खचिया
33. श्रीमती नीरा खन्ना	-	नया महादेव	खाद्य सामग्री
34. श्रीमती सुनीता सिंह	-	भेलूपुर	पेंटिंग्स
35. श्रीमती कुन्ता देवी	-	ईश्वरगंगी	खाद्य सामग्री
36. श्रीमती मीनू गुप्ता	-	चंवरगली	खाद्य सामग्री
37. श्रीमती अंशु चड्ढा	-	गायघाट	खाद्य सामग्री
38. श्रीमती सुमन श्रीवास्तव	आदर्श महिला शिल्पकला केन्द्र	लहरतारा	पेंटिंग्स
39. श्रीमती विभा अग्रवाल			
40. श्रीमती उर्मिला	-	आदित्यनगर	खाद्य पदार्थ
41. श्रीमती नसरीनजहाँ	-	रामनगर	सजावट सामग्री
42. श्री गौतम	-	सोनिया	खाद्य पदार्थ



परिशिष्ट-2

टाउनहाल, गाजीपुर प्रदर्शनी (6-7 दिसम्बर 1995)

प्रदर्शनी में शामिल स्त्री संस्थाओं एवं स्त्रियों की सूची

क्रम सं.	स्टाल पर खड़ी मुख्य स्त्री का नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव श्रीमती चुन्नी श्रीमती मंजू सिंह कुमारी यमन शर्मा	लता महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई केन्द्र	स्टेशन रोड, गाजीपुर	वस्त्र, सजावट सामग्री
2.	श्रीमती शीला सहाय श्रीमती भागमनी	नारी हस्तकला उद्योग समिति	वाराणसी	खिलौने, वस्त्र, सजावट सामग्री खाद्य सामग्री
3.	सुश्री चन्दा यादव	चन्दा सिलाई बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	मालगोदाम रोड गाजीपुर	वस्त्र, बुनाई के वस्त्र
4.	श्रीमती शाहजहाँ श्रीमती रजिया शीला	निहारिका बुटिक बशीर मंजिल	बर्बरहना गाजीपुर	पैच वर्क के वस्त्र
5.	अर्चना श्रीवास्तव अलका श्रीवास्तव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव	कुशु हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र	शास्त्री नगर कालोनी	पेंटिंग्स
6.	सुश्री फात्मा खान सुनीता गुप्ता रेशम गुप्ता रेखा गुप्ता सीमा जायसवाल	फात्मा ललित कला, फाईन आर्ट्स महिला प्रशिक्षण संस्थान एस. के. वी. एम. इण्टर कालेज	दिलदारनगर गाजीपुर	पेंटिंग्स

क्रम सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
7.	लालसा देवी रूचि श्रीवास्तव नीता श्रीवास्तव, स्नेहलता निधि, निर्मला, सुमन, हेमा सुनयना, निशात, अफरोज	शिवम महिला प्रशिक्षण केन्द्र	आमघाट	पेंटिंग्स पैच वर्क के वस्त्र, वस्त्र
8.	श्रीमती मानकी देवी	इन्द्रजीत बालिका जूनियर हाईस्कूल	नवाबगंज	सजावट सामग्री खाद्य पदार्थ
9.	सीमा कुमारी	व्यक्तिगत	सियाराम शहवान तकिया मारकीनगंज	
10.	सीमा आजमी	व्यक्तिगत	निगाहीबेग	वस्त्र
11.	श्रीमती चन्द्रकला	चन्द्रा हेल्थ फूड प्रोडक्ट	लालदरवाजा	आटा, दलिया (अंकुरित गेहूं का)
12.	बदरुन्निसा बेगम श्रीमती रूखसाना हारून	व्यक्तिगत	नुरूद्दीनपुरा	वस्त्र
13.	श्रीमती अनिरुन्निसा	व्यक्तिगत	तेलपुरा मछलीबाजार	वस्त्र
14.	श्रीमती माया अग्रवाल	व्यक्तिगत	केयर ऑफ श्रीराम जीदास सन बाजार गाजीपुर	वस्त्र
15.	ममता कुमारी हीरामनी	व्यक्तिगत	आमघाट	खाद्य पदार्थ
16.	श्रीमती गीता	व्यक्तिगत	गायत्रीनगर	वस्त्र
17.	श्रीमती मीरा देवी	व्यक्तिगत	बड़ी कोठी टेढ़ी बाजार गाजीपुर	खिलौने
18.	श्रीमती कुसुम गुप्ता	जनपद ग्रामीण	सनबाजार	वस्त्र

	शमीना, नूरजहाँ, मुशर्रत, फरजाना, आशा, संध्या	विकास केन्द्र		
19.	श्रीमती नयनतारा द्विवेदी	सरस्वती विद्या मन्दिर	स्टेशन रोड	खिलौने सजावट सामग्री
20.	सुश्री श्वेतारानी	व्यक्तिगत	टेढ़ी बाजार	खाद्य पदार्थ
21.	नसरीन बेगम, नाजमा, रिजवाना	व्यक्तिगत	गोरा बाजार	वस्त्र
22.	श्रीमती आशा देवी	व्यक्तिगत	झुन्नलाल का चौराहा, गाजीपुर	वस्त्र
23.	श्री उदयनारायण सिंह	शहीद स्मारक इण्टर कॉलेज	नन्दगंज, गाजीपुर	खाद्य पदार्थ
24.	श्रीमती धनमानी देवी	माता सुखदेई सिलाई स्कूल	पारस की गली नन्दगंज, गाजीपुर	वस्त्र
25.	सुश्री ऋचा राय	व्यक्तिगत	हृदयेशपथ नक्खास, गाजीपुर	पेन्टिंग्स



परिशिष्ट- 3

‘हिन्दी भवन’, जौनपुर प्रदर्शनी : 11, 12 दिसम्बर, 1995
प्रदर्शनी में शामिल स्त्री संस्थाओं एवं स्त्रियों की सूची

क्रम सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	श्रीमती नाजमा बेगम अंजुम आरा अंजुम बानो, जहाँ आरा दरख्शां, तरन्नुम बेबी, शमां	रीना सिलाई कढ़ाई बुनाई केन्द्र	हसनैन अलीमार्ग सब्जी मंडी	सजावट सामग्री वस्त्र
2.	श्रीमती निशीनिगम बवीता यादव कविता केडिया सीमा खान	सावित्री निगम हस्तशिल्प कला कला केन्द्र, महिला सिलाई कढ़ाई संस्थान	रास मण्डल	वस्त्र
3.	श्रीमती रफीक फात्मा	व्यक्तिगत	मकान नं. 463 उमरपुर पो. सदर जौनपुर	जरी कढ़ाई के वस्त्र
4.	श्रीमती राधा गुप्ता कुमारी कलावती श्रीमती साधना गुप्ता कुमारी आलम आरा कुमारी माला गुप्ता	दिव्या महिला प्रशिक्षण संस्थान	चौधरी निवास रूहट्टा, जौनपुर	पेंटिंग्स वस्त्र
5.	सुश्री सूफिया बानो श्रीमती नूरजहाँ बेगम शम्सिया बानो	व्यक्तिगत	मो. उमरपुर रूहट्टा, जौनपुर	जरी के वस्त्र खाद्य पदार्थ
6.	श्रीमती उर्मिला प्रधानाचार्या	नगर महापालिका बालिका हाईस्कूल	उमरपुर, रूहट्टा जौनपुर	वस्त्र
7.	श्रीमती राधिका श्रीमती भागमनी सुश्री मधु	नारी हस्तकला उद्योग समिति	वाराणसी	सजावट सामग्री खाद्य पदार्थ खिलौने, वस्त्र
8.	श्रीमती कमला मौर्या श्रीमती उषा गुप्ता	महिला कल्याण शिल्प कला	शकरमण्डी, जौनपुर	वस्त्र

	श्रीमती गीता साहा	केन्द्र		
9.	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव श्रीमती निर्मला बरनवाल अचला, गुंजन	आदर्श सिलाई, बुनाई, पेंटिंग शिक्षा केन्द्र	रासमण्डल चौक, जौनपुर	पेन्टिंग्स, वस्त्र, सजावट सामग्री
10.	श्रीमती विद्या श्रीवास्तव सरोज यादव अंजू	महिला हस्तशिल्प कला केन्द्र	ओलंदगंज जौनपुर	पेंटिंग्स, वस्त्र खिलौने, कढ़ाई
11.	श्रीमती मंजू सिंह	बालिका हिन्दू इण्टर कॉलेज	मुगराबादशाहपुर जौनपुर	पेंटिंग्स, कढ़ाई के वस्त्र
12.	सुश्री आरती आर्या	व्यक्तिगत	श्रीकृष्णदत्त आर्य मो.- ईशापुर पो.-सदर, जौनपुर	पेंटिंग्स, कढ़ाई बुनाई, क्रोशिया वस्त्र
13.	श्रीमती कमला देवी कुमारी अर्चना नीरजा गुप्ता रेनू गुप्ता, सुनीता, मालिनी	महिला सिलाई शिल्प कला केन्द्र, नक्खास	नक्खास	सिलाई, पेंटिंग्स
14.	कुमारी प्रणीति अग्रहरि कुमारी कल्पना अग्रहरि कुमारी सरिता अग्रहरि कुमारी मंजू चौधरी	शृंगार ब्यूटी पार्लर रूहड़ा, जौनपुर	रूहड़ा, जौनपुर	टेडीवियर, बाल हैंगिंग
15.	श्रीमती आशा देवी श्रीमती चन्द्रकला गुप्ता	आशा शिल्प कला प्रशिक्षण केन्द्र	कलेक्टरी कचहरी, हुसेनाबाद	खाद्य सामग्री, मौनी, डलिया, सिलाई
16.	प्रधानाचार्या श्रीमती सरोज मिश्रा एवं छात्राएं	मुक्तेश्वर प्रसाद बालिका इण्टर कॉलेज		सिलाई, सजावट सामग्री
17.	प्रतिभा मौर्या	सहेली बुटिक	परमारधपुर, जौनपुर	वस्त्र

18.	नगमा अफरोज, शाइस्ता अंसारी, सरवत, नसरीन, शबाना, अरफात, असगर सुलताना	मदरसा हनिफिया सिलाई, कढ़ाई ट्रेड	आलमखाँ, जौनपुर	वस्त्र, पेंटिंग्स, कढ़ाई, दो सूती क्रोशिया
19.	कनीज फात्मा, जुलेखा, सरोजकुमारी गीता, माया, सोनी	तसलीम सिलाई कढ़ाई केन्द्र	मधारे टोला, जौनपुर	सिलाई, सजावट सामग्री खाद्य पदार्थ
20.	रीतारानी गुप्ता सावित्री मौर्या गायत्री मौर्या गीता रानी गुप्ता	टी. डी. कॉलेज, जौनपुर की छात्राएँ		पेंटिंग्स, वस्त्र, मौनी, कुरवई, दौरी, पंखी, चटाई
21.	श्रीमती रेशमा श्रीमती आसमां	व्यक्तिगत	खरका कॉलोनी जौनपुर	वस्त्र
22.	श्रीमती विजयलक्ष्मी	महिला शिल्प कला केन्द्र	नवाब युसूफ रोड, जौनपुर	वस्त्र
23.	श्रीमती ललिता श्रीवास्तव	ललिता बुनाई एवं पीको केन्द्र	शाहगंज पड़ाव, जौनपुर	वस्त्र
24.	श्रीमती रेखा सिन्हा	वसु सिलाई केन्द्र	कचहरी रोड, लाइन बाजार चौराहा, जौनपुर	वस्त्र एवं बुनाई के वस्त्र
25.	श्रीमती रूक्मिणी देवी जायसवाल	व्यक्तिगत	लाइन बाजार	खाद्य पदार्थ वस्त्र
26.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	मिताली ब्यूटी पार्लर	रूहट्टा, जौनपुर	बुनाई के वस्त्र, सामग्री
27.	गिरिजा देवी	व्यक्तिगत	नंदगाँव	मोतीमाला
28.	श्रीमती गीता साहा	बनीठनी बुटिक	उर्दू बाजार, जौनपुर	वस्त्र

29.	शहला मुमताज	मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज		भवन मॉडल
30.	श्रीमती अरूणा	कविता सिलाई, बुनाई केन्द्र	लाइन बाजार, जौनपुर	वस्त्र
31.	श्रीमती कमला मौर्या	महिला कल्याण शिल्प कला केन्द्र	मैनीपुर, पो. सदर, जौनपुर	वस्त्र
32.	श्रीमती राज ओहरी सुश्री रीता जायसवाल	उषा सिलाई मशीन	मधारेटोला, जौनपुर	पेंटिंग्स
33.	श्रीमती मुबारकोत्रिसा	व्यक्तिगत	रूहट्टा, जौनपुर	वस्त्र
34.	श्रीमती प्रभा	प्रभा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग्स प्रशिक्षण संस्थान	रसूलाबाद, जौनपुर	वस्त्र
35.	श्रीमती उषा गुप्ता	उषा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई केन्द्र	खेतासराय	वस्त्र

●

परिशिष्ट-4

घण्टाघर, मिर्जापुर प्रदर्शनी और सम्मेलन : 19, 20 दिसम्बर, 1995

प्रदर्शनी में शामिल स्त्री संस्थाओं एवं स्त्रियों की सूची

क्रम सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	सामग्री
1.	सुश्री पंकी जायसवाल सुश्री रिंकी जायसवाल	व्यक्तिगत	लालडिगगी रोड	पेंटिंग्स, वस्त्र
2.	श्रीमती अलका श्रीवास्तव शीला, सुनीता, शबनम, रूबीना, यामिनी, आबिदा, विभा अग्रवाल, रूखसाना, सुनीता, रिजवाना	महिला संसार ऑल इण्डिया वूमेन कान्फ्रेन्स	बघेल की गली वास्लीगंज	पेंटिंग्स, वस्त्र
3.	सुश्री कविता श्रीमती उर्मिला	कविता सिलाई, कढ़ाई, बुनाई	भजन का पुरा मकान नं. 5,	पेंटिंग्स, वस्त्र

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | सुश्री बबीता गुप्ता
सुश्री सरिता गुप्ता | केन्द्र | जी. आई. सी.
फील्ड के पीछे
महुवरिया, मिर्जापुर | |
| 4. | श्रीमती निर्जला सिंह
तरन्नुम बानो,
रिहाना परवीन,
वर्षा श्रीवास्तव, अनवरी,
ईशा, सुषमा, किरन कुमारी | ब्रजकिशोरी सिलाई
कढ़ाई, बुनाई केन्द्र | पंडितान,
रमईपट्टी | वस्त्र, क्रोशिया
के वस्त्र |
| 5. | श्रीमती चन्द्रावती देवी
छिप्रा दूबे,
अलमवदा सिंह | उषा सिलाई, कढ़ाई,
बुनाई केन्द्र | वासली गंज | वस्त्र, पेंटिंग्स |
| 6. | डॉ. सरिता त्रिपाठी
डॉ. सुनीता त्रिपाठी
ममता बरनवाल
पूर्णमा त्यागी
रामरानी तिवारी
ममता कुशवाहा | के. बी. पोस्ट ग्रेजुएट
कॉलेज | द्वारिकाधीश
मन्दिर के पीछे,
मो. बुंदेलखण्डी | पेंटिंग्स,
खिलौने, कढ़ाई
के वस्त्र |
| 7. | श्रीमती उमा विश्वकर्मा
श्रीमती शकीला
आशा, शीला, शोभा
मंत्री, चिन्ता, निर्मला
मानकी | दलित शोषित
महिला विकास
स्वयंसेवी संस्था | भटुवा पोखरी | ऊनी वस्त्र,
खिलौने,
सजावट सामग्री
खाद्य पदार्थ |
| 8. | श्रीमती मालती अग्रवाल
श्रीमती आशा अग्रवाल | व्यक्तिगत | बदली कटरा | खाद्य पदार्थ |
| 9. | सुश्री पूनम
सुश्री मीरा | व्यक्तिगत | रानीबाग | क्रोशिया के
वस्त्र,
खाद्य पदार्थ |
| 10. | श्रीमती सुलोचना | ज्योति सिलाई, कढ़ाई
बुनाई केन्द्र | रमई पट्टी | वस्त्र, पेंटिंग्स |

11.	श्रीमती माधुरी देवी	व्यक्तिगत	पेंहटी का चौराहा, खाद्य पदार्थ मिर्जापुर
12.	सुश्री ममता देवी	व्यक्तिगत	तिवरानी टोला, पेंटिंग्स, वस्त्र मिर्जापुर
13.	श्रीमती रामस्ती गुप्ता	व्यक्तिगत	तिवरानी टोला, खाद्य पदार्थ मिर्जापुर
14.	श्रीमती उषा शुक्ला	अंजली सिलाई, कढ़ाई, बुनाई केन्द्र	गैबी घाट पेंटिंग्स, वस्त्र
15.	श्रीमती मालती देवी	व्यक्तिगत	डंकीनगंज चौराहा खाद्य पदार्थ
16.	श्री रमेश चन्द्र श्रीमती मीरा देवी	व्यक्तिगत	डंकीनगंज लकड़ी के खिलौने
17.	श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती शब्बोन्निसा मीना श्रीवास्तव मजीदुन्निसा, श्रीमती रेखा	परिवर्तन महिला स्वावलम्बन समिति	रमईपट्टी गलीचे
18.	श्रीमती कमला देवी	बालिका कला निकेतन	चौबे टोला पेंटिंग्स, वस्त्र, खिलौने
19.	श्रीमती रानी सोनी (40 छात्राओं सहित)	पूजा हस्तिशिल्प	गणेशगंज वस्त्र, पेंटिंग्स सजावट सामग्री
20.	श्रीमती कुसुमांजली अग्रवाल	कला मंदिर, शेरखां की गली, वासलीगंज	वासलीगंज वस्त्र, पेंटिंग्स
21.	श्रीमती सुमन देवी श्रीमती बेबी	व्यक्तिगत	तेलियागंज खाद्य पदार्थ
22.	श्रीमती शकुन्तला	व्यक्तिगत	कोतवाली रोड खाद्य पदार्थ
23.	श्रीमती फूलमणि	व्यक्तिगत	गांधी घाट, खाद्य पदार्थ नई बस्ती
24.	श्रीमती निर्मला	व्यक्तिगत	गिरधर का चौराहा खाद्य पदार्थ
25.	श्रीमती मुन्नी	व्यक्तिगत	-- --
26.	श्रीमती केवला	व्यक्तिगत	-- --

27.	सुश्री नीतू गुप्ता श्रीमती शर्मिली गुप्ता	व्यक्तिगत	पक्की सराय	पेंटिंग्स, वस्त्र
28.	श्रीमती शोभा देवी	व्यक्तिगत	भटुवा की पोखरी, महुवरिया	खाद्य पदार्थ
29.	श्रीमती पूनमबाला	व्यक्तिगत	गणेशगंज	मसाले
30.	श्रीमती इन्दूबाला	शांति बालवाड़ी सिलाई, कढ़ाई केन्द्र	रमई पट्टी नई बस्ती	कढ़ाई के वस्त्र, पेंटिंग्स
31.	श्रीमती गायत्री	व्यक्तिगत	सहसेपुर	वस्त्र
32.	श्रीमती जीशान अमीर	सहेली बुटिक	गणेशगंज	कालीन, वस्त्र
33.	सुश्री चन्द्रकला सुश्री राधा	व्यक्तिगत	लक्ष्मन प्रसाद की गली, वासलीगंज	पेंटिंग्स, वस्त्र
34.	सुश्री दीपमाला गुप्ता सुश्री प्रीति गुप्ता श्रीमती मुन्नी देवी	व्यक्तिगत	श्री श्यामलाल गुप्ता पक्की सराय, मिर्जापुर	पेंटिंग्स, वस्त्र
35.	सुश्री श्रद्धारानी	व्यक्तिगत	गणेशगंज	वस्त्र
36.	श्रीमती सीता देवी	लक्ष्मी सिलाई केन्द्र	दुर्गादेवी, मिर्जापुर	ऊनी और सूती वस्त्र



परिशिष्ट- 5

प्रचार पत्रक
काशी नगर में पहली बार
नारी हस्तकला उद्योग सम्मेलन एवं प्रदर्शनी
कार्यक्रम

स्थान	दिनांक
1. ग्राम नरोत्तमपुर, पोखरे के पास	4 फरवरी 1995
2. दुर्गाकुण्ड, सावन मेले का स्थान	6, 7, 8 फरवरी 1995
3. फातमान के पास, लल्लापुरा	10,11 फरवरी 1995
4. सूर्या महिला प्रशिक्षण केन्द्र, रथयात्रा चौराहा	17,18,19 फरवरी 1995
5. सुन्दरपुर बाजार	21, 22, 23 फरवरी 1995
6. महमूरगंज तिराहा	26, 27 फरवरी 1995
7. टारुनहाल, मैदागिन	6, 7, 8 मार्च 1995

प्रदर्शनियों के बारे में

ये प्रदर्शनियाँ सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। नगरवासियों से अनुरोध है कि परिवार सहित इन प्रदर्शनियों में आयें। जो महिलायें प्रदर्शनियों में अपना सामान रखना व बेचना चाहती हैं वे नीचे दिये पतों पर सम्पर्क करें।

नगर की शिल्पकला प्रशिक्षण संस्थाओं एवं उद्योगशील महिलाओं के प्रयास से पहली बार ऐसी हस्तशिल्प प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है।

सम्मेलन के बारे में

प्रदर्शनी स्थलों पर उक्त तिथियों पर प्रतिदिन दोपहर 2बजे से सायं 5 बजे तक स्त्रियों की उद्योगों में भागीदारी, हस्तशिल्प उद्योगों में स्त्रियों के लिए संभावनायें, स्त्री-विशेष समस्याओं आदि विषयों पर स्त्रियों के सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों में स्त्रियाँ अधिक से अधिक संख्या में भाग लें एवं अपने विचार रखें।

सम्पर्क स्थान

1. नारी हस्तकला उद्योग समिति, श्रीकृष्ण भवन, 25, माधव मार्केट, लंका
2. नारी हस्तकला उद्योग समिति, ग्राम-नरोत्तमपुर
3. जानकी मंदिर, शिवरतनपुर, बजरडीहा
4. सूर्या महिला प्रशिक्षण केन्द्र, रथयात्रा चौराहा
5. महिला सहभागिता संस्थान, लल्लापुरा (फातमान के पास)
6. उषा कला केन्द्र, गोदौलिया (केशरी जलपान गृह के पास)
7. रत्नेश्वरी नारी शिल्पकला मंदिर, मच्छोदरी
8. विकल्प कार्यालय, सर्वोदय परिसर, 66, जघाट

नारी हस्तकला उद्योग समिति

श्रीकृष्ण भवन, 25, माधव मार्केट, लंका, वाराणसी-221005

संक्षिप्त परिचय

नारी हस्तकला उद्योग समिति स्त्रियों की एक पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था है, जो पिछले दो वर्षों से वाराणसी के नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं के बीच कार्य कर रही है। यह एक अराजनैतिक संगठन है।

1. विचार

समाज के प्रभावी विचारों में नारी-ज्ञान की दृष्टि (मूल्य, विचार, कौशल आदि) का समावेश न होना और समाज में नारी का सम्मानपूर्ण स्थान न होना परस्पर निर्भर है। आज आधुनिक शिक्षा से लैस कुछ गिनी-चुनी महिलाओं को छोड़ अन्य सभी के हाथ से काम छिने जा रहे हैं। स्त्रियों की इस अन्यायपूर्ण शोषित स्थिति से मुक्ति तभी सम्भव है जब बहुसंख्य स्त्रियों के पास विद्यमान परम्परागत कौशल एवं ज्ञान के आधार पर ही वर्तमान समाज में उन्हें सम्माननीय रोजगार मिले।

2. उद्देश्य

- (क) नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं के पास विद्यमान कौशल (कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, चित्रकारी, घरेलू उपचार पद्धतियाँ, खाद्य-पदार्थों के निर्माण एवं संरक्षण की जानकारी आदि) को संगठित एवं संवर्धित कर समाज में पुनर्स्थापित करना तथा समाज में स्त्रियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना।
- (ख) स्त्रियों द्वारा घरेलू उद्योगों में निर्मित उत्पादन को स्थानीय बाजार में उचित स्थान मिलने के लिए सार्वजनिक गतिविधियों द्वारा प्रशासन एवं स्थानीय जनता पर नैतिक दबाव लाने का प्रयास करना।

3. कार्य

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :

- (क) **प्रशिक्षण** : समिति के नगरीय क्षेत्र लंका में तथा ग्रामीण क्षेत्र में नरोत्तमपुर ग्राम, खण्ड काशी विद्यापीठ में कुल दो केन्द्र हैं। इन दोनों केन्द्रों पर नियमित कक्षाओं द्वारा महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कक्षाओं के

अलावा महिलाओं को अल्पावधि के प्रशिक्षण (एक या दो घण्टे के) भी प्रदान किये जाते हैं जो बस्तियों में जाकर या केन्द्रों पर भी दिये जाते हैं।

(ख) **उत्पादन** : प्रशिक्षित महिलाओं को कच्चा माल देकर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करवाया जाता है। महिलाएं अपने-अपने घरों में जाकर उत्पादन करती हैं।

(ग) **बिक्री** : महिलाओं द्वारा बनी सामग्री को नगर के विभिन्न स्थानों में प्रदर्शनियाँ लगाकर समिति द्वारा बिक्री की जाती है। इन प्रदर्शनियों में वे भी महिलाएँ अपना उत्पादन बिक्री के लिए रख सकती हैं जो समिति से कोई सहायता न लेकर उत्पादन कर रही हैं। समिति अभी तक 25 प्रदर्शनियाँ लगा चुकी है।

इन गतिविधियों में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 100-150 स्त्रियाँ जुड़ी हुई हैं।

4. आह्वान

स्त्रियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीद कर स्त्रियों को सबल बनाने में भागीदार बनें,

हमारे यहाँ विद्यालय/कार्यालय के लिए आवश्यक फाइल्स, टेबुल कवर्स, कैलेण्डर्स, यूनिफार्म्स, ट्रे, पेन-स्टैण्ड, पेन-बॉक्स, पेपर-वेट्स आदि प्राकृतिक वस्तुओं से एवं महिलाओं के हाथ से निर्मित आर्ट्स मिलने पर उपलब्ध कराये जाते हैं। शादी-ब्याह के लिए कढ़ाई या पेंटिंग किये गये चादर, लिहाफ, मेजपोश, कुर्ते, साड़ी आदि भी आर्ट्स मिलने पर उपलब्ध कराये जाते हैं। ऐसे आर्ट्स देकर स्त्रियों के विकास में सहयोग दीजिये।

5. हमारे आग्रह

- * स्त्रियों मात्र श्रमिक न बने बल्कि कारीगर बने।
- * स्त्रियाँ अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से ही उत्पादन करें। विदेशी या दूर स्थित बड़े शहरों से आयातीत वस्तुओं पर निर्भरता एवं अप्राकृतिक वस्तुओं का जैसे (प्लास्टिक, सिन्थेटिक वस्त्र, रेशे रंग आदि) उपयोग स्त्रियों के शोषण का कारण बनते हैं। विदेशी या दूर के बाजार पर निर्भरता स्त्रियों और दस्तकारों के शोषण का कारण बनते हैं।
- * स्थानीय लोगों का कर्तव्य है कि वे स्त्रियों द्वारा निर्मित सामग्री को खरीदें। स्थानीय बाजार में स्त्रियों/दस्तकारों की सामग्री की बिक्री बढ़ेगी तभी निर्यात स्त्रियों/दस्तकारों के अनुकूल होगा अन्यथा नहीं।

सम्पर्क समय

समिति के लंका स्थित

कार्यालय पर

दिन में 10.00 से 4.00 तक